भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं/डीओआर/2021-22/83
विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22

30 अगस्त 2021
(03 जुलाई 2025 को अपडेट किया गया)
(01 अप्रैल 2025 को अपडेट किया गया)
(01 अप्रैल 2024 को अपडेट किया गया)
(25 अक्तूबर 2023 को अपडेट किया गया)
(20 फरवरी 2023 को अपडेट किया गया)
(13 दिसम्बर 2022 को अपडेट किया गया)
(11 अक्तूबर 2022 को अपडेट किया गया)
(19 मई 2022 को अपडेट किया गया)
(15 नवंबर, 2021 को अपडेट किया गया)

सभी वाणिज्यिक बैंक और
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, लेखांकन मानकों के अनुपालन पर विनियामकीय स्पष्टीकरण और खातों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं।

2. बैंकिंग क्षेत्र में मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल करते हुए, अद्यतन करने और जहां आवश्यक हो, बैंकों को संदर्भ के लिए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण पर सभी वर्तमान निर्देश ताकि एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें, एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंक लागू विनियामकीय पूंजी ढांचे के तहत विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण का पालन करेंगे।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और धारा 56 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किया है।

भवदीया,

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग,केंद्रीय कार्यालय, 12 वीं और 13 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,फोर्ट,मुंबई-400001
दूरभाष: 022-22601000 फैक्स: 022-22705691 ई-मेल: cgmicdor@rbi.org.in

Department of Regulation, Central Office, 12th and 13th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai- 400 001
Tel: 022- 2260 1000 Fax: 022-2270 5691 email: cgmicdor@rbi.org.in

हिंदी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं/विवि/2021-22/
मास्टर निदेश विवि.एसीसी.आरईसी.सं 46/21.04.018/2021-22 30 अगस्त 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में और बैंकिंग नीति के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय – I
प्रारंभिक

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

ए) इन निदेशों को - भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण निदेश-2021 कहा जाएगा।

बी) ये निदेश उस दिन लागू होंगे जब इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड गया है।

2. **प्रयोज्यता**

यह निदेश निम्नलिखित पर लागू होंगे:

ए) सभी बैंकिंग कम्पनी[1], तत्स्थानीय नए बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ('आरआरबी') और भारतीय स्टेट बैंक, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धाराओं (सी), (डीए), (जेए) और (एनसी) के तहत परिभाषित किया गया है (इसके पश्चात समेकित रूप से 'वाणिज्यिक बैंक' के रूप में संदर्भित)।

बी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 की उपधारा 1 के खंड (सीसीवी) के तहत परिभाषित प्राथमिक सहकारी बैंक (इसके पश्चात 'शहरी सहकारी बैंक' या 'यूसीबी' के रूप में संदर्भित)।

[1] भारत में परिचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त भारत से बाहर निगमित बैंक ('विदेशी बैंक'), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी) शामिल हैं।

सी) ‘केंद्रीय सहकारी बैंक’ और ‘राज्य सहकारी बैंक’ जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981, की धारा 2 की उप-धारा (डी) और (यू) के तहत क्रमशः परिभाषित किया गया है (इसके पश्चात 'ग्रामीण सहकारी बैंक' या ‘आरसीबी' के रूप में संदर्भित)।

इन निदेशों में प्रयुक्त शब्द 'बैंक' में वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों शामिल होंगे। इन निर्देशों में प्रयुक्त शब्द 'सहकारी बैंक' में यूसीबी और आरसीबी दोनों शामिल होंगे।

अध्याय – II
तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते का प्रारूप

3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक अपने द्वारा किए गए सभी व्यवसायों के संबंध में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस या अवधि के अनुसार एक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे, जैसा कि मामला हो, जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में हो। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने भारत की राजपत्र में प्रकाशित 26 मार्च 1992 की अधिसूचना एसO240 (ई) के माध्यम से तीसरी अनुसूची में प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट किया है। । इन्हें इन निदेशों के अनुबंध । में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार, सहकारी बैंक अपने द्वारा किए गए सभी व्यवसायों के संबंध में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर या अवधि, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियम की धारा 56 के खंड (यठ) द्वारा प्रतिस्थापित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में एक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे।

अध्याय – III
संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश

5. वाणिज्यिक बैंकों के लिए तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश **अनुबंध II** के भाग ए में विनिर्दिष्ट हैं। वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन, समय-समय पर संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन, सहकारी बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखा मानकों की प्रयोज्यता[2] के संबंध में की गई घोषणाओं द्वारा निर्देशित होंगे। **अनुबंध II** का भाग बी वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुछ लेखा मानकों के आवेदन में प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शन विनिर्दिष्ट करता है। यह सहकारी बैंकों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा, जब तक कि उक्त अनुबंध में अन्यथा न कहा गया हो।

[2] आईसीएआई की प्रचलित घोषणाओं के अनुसार, सहकारी बैंकों को स्तर । उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्तर । उद्यमों को सभी लेखांकन मानकों का पालन करना आवश्यक है।

अध्याय – IV
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - खातों के लिए नोट

6. बैंक वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणियों में **अनुबंध III** में विनिर्दिष्ट जानकारी का खुलासा करेंगे। ये प्रकटीकरण केवल पूरक करने के लिए हैं और अन्य कानूनों, विनियमों, या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं हैं। इन निदेशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से अधिक व्यापक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।

अध्याय – V
समेकित आर्थिक विवरण
(एलएबी, आरआरबी और सहकारी बैंक *पर लागू नहीं है)*

7. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए एकल वित्तीय विवरणों के अलावा, वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एलएबी के अलावा), चाहे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस), **अनुबंध IV** में निर्धारित प्रारूपों में तैयार और प्रकट करेंगे। सीएफएस में आम तौर पर एक समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, प्रमुख लेखा नीतियां और खातों के लिए नोट्स शामिल होंगे। सीएफएस को बैंक के वार्षिक खातों के प्रकाशन के एक महीने के भीतर पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), भारतीय रिजर्व बैंक को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

8. सीएफएस लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, 'पैरेंट', 'सहायक', 'सहयोगी', 'संयुक्त उद्यम', 'नियंत्रण' और 'समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जो लागू लेखा मानकों में उनके लिए विनिर्दिष्ट है। सीएफएस प्रस्तुत करने वाला एक पैरेंट सभी सहायक कंपनियों - घरेलू और साथ ही विदेशी, लागू लेखा मानकों के तहत विशेष रूप से बाहर किए जाने की अनुमति को छोड़कर, को समेकित करेगा। हालांकि, सीएफएस में एक सहायक कंपनी को समेकित नहीं करने के कारणों का खुलासा किया जाएगा। समेकन के लिए किसी विशेष इकाई को शामिल किया जाएगा या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी। सांविधिक लेखापरीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख करेंगे, यदि उनकी राय है कि एक इकाई जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, को छोड़ दिया गया है।

9. ऐसे मामलों में जहां एक समूह में विभिन्न संस्थाएं संबंधित विनियामकों द्वारा निर्धारित विभिन्न लेखांकन मानदंडों द्वारा अभिशासित होती हैं, तुलन पत्र के आकार का उपयोग प्रमुख गतिविधि को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है और इसके विनियामकीय द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का उपयोग समान लेनदेन और घटनाओं के समेकन के लिए किया जा सकता है। जहां बैंकिंग प्रमुख गतिविधि है, बैंक के लिए लागू लेखांकन मानदंड समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के संबंध में समेकन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

10. एक आरआरबी को उसके प्रायोजक बैंक के सीएफएस में एक सहयोगी के रूप में माना जाएगा।

11. सहायक कंपनियों, जो समेकित नहीं हैं, में निवेश और सहयोगी, जो "इक्विटी विधि" का उपयोग करके शामिल नहीं हैं, का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार होंगे।

12. बैंकों के निदेशक मंडल को सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश के समय अस्थायी अवधि के लिए या अन्यथा निवेश रखने के इरादे को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करना होगा। इस तरह के निवेश के समय बोर्ड द्वारा इस तरह के इरादे के रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, निवेशित इकाई को सीएफएस में समेकित किया जाएगा।

अध्याय – VI
अन्य अनुदेश

अंतर-शाखा खाता - शुद्ध डेबिट शेष के लिए प्रावधान

13. बैंकों को अंतर-शाखा खाते में पांच साल से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए और उन्हें एक अलग 'ब्लॉक्ड खाते' में स्थानांतरित करना चाहिए जिसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' के तहत या सहकारी बैंकों के मामले में, 'अन्य देयताएं- सस्पेंस' के तहत दिखाया जाना चाहिए। ब्लॉक किए गए खाते से किसी भी समायोजन की अनुमति केवल दो अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ दी जानी चाहिए, जिनमें से एक को नियंत्रक /प्रधान कार्यालय से होना चाहिए यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक हो। अवरुद्ध खाते में शेष राशि को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य के लिए देयता के रूप में माना जाएगा।

14. बैंक अंतर-शाखा खातों के माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए श्रेणी-वार (शीर्ष-वार) खाते बनाए रखेंगे, ताकि नेटिंग को श्रेणी-वार किया जा सके। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार, बैंक छह महीने से अधिक समय से असमाशोधित शेष डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग-अलग करेंगे और श्रेणी-वार शुद्ध स्थिति पर पहुंचेंगे। ब्लॉक्ड खाते में शेष राशि पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद, अंतर-शाखा खातों की सभी श्रेणियों के तहत शुद्ध डेबिट को एकत्र किया जाएगा और कुल शुद्ध डेबिट के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाएगा। ऐसा करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक श्रेणी में निवल डेबिट दूसरी श्रेणी में निवल ऋण के विरुद्ध सेट-ऑफ़ न हो।

नोस्ट्रो खाते का समाधान और बकाया प्रविष्टियों का प्रशोधन

15. बैंकों को समाधान पर एक मजबूत नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाने चाहिए और वास्तविक समय में समाधान की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। मतभेदों का विस्तार, यदि कोई हो, तुरंत किया जाना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन द्वारा अल्प अंतराल पर नोस्ट्रो खातों में लंबित मदों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। नोस्ट्रो खातों में सभी असंगत क्रेडिट प्रविष्टियां जो तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें एक ब्लॉक्ड खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बकाया देनदारियों के रूप में दिखाया जाएगा। ब्लॉक्ड खाते में शेष राशि की गणना सीआरआर/एसएलआर के प्रयोजन के लिए की जाएगी। बैंक नोस्ट्रो खातों में सभी असंगत डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रावधान करेंगे, जो दो साल से अधिक समय से बकाया हैं।

16. पूर्व में, आरआरबी के अलावा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को 31 मार्च, 2002 तक उत्पन्न नोस्ट्रो खातों में 2,500 अमरीकी डालर या समकक्ष से कम व्यक्तिगत मूल्य की बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को लाभ और

हानि खाते (बाद में सामान्य रिजर्व में विनियोग के बाद) में स्थानांतरित करने की कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गई थी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रविष्टियों के संबंध में भविष्य के किसी भी दावे का विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त सामान्य आरक्षित निधि में विनियोजित राशि लाभांश की घोषणा के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

आरक्षित निधियों में अंतरण/विनियोग

17. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1),11(2)(b)(ii) और 56 के अनुसार, बैंकों को लाभ और हानि खाते में बताए गए लाभ में से कम से कम 20 प्रतिशत के बराबर राशि आरक्षित निधि में अंतरण करना आवश्यक है। ये प्रावधान न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता हैं। हालांकि, पूंजी बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक बैंक (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) विनियोग से पहले 'शुद्ध लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत सांविधिक रिजर्व को अंतरित करेंगे।

18. जब तक मौजूदा विनियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक बैंकों को सांविधिक रिजर्व या किसी अन्य रिजर्व से कोई विनियोग किए जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना होगा। बैंकों को आगे सूचित किया जाता है कि:

ए) एक अवधि में मान्यता प्राप्त प्रावधानों और राइट-ऑफ सहित सभी खर्च, चाहे अनिवार्य या विवेकपूर्ण, अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में 'लाइन से ऊपर' मद के रूप में (अर्थात शुद्ध लाभ/हानि पर पहुंचने से पहले वर्ष के लिए) परिलक्षित होंगे।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्वानुमोदन से आरक्षित निधि से आहरण केवल 'लाइन के नीचे' (अर्थात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि पर पहुंचने के बाद) प्रभावी होगा; तथा

सी) तुलन-पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' में ऐसे आहरण का उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाएगा।

19. लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग शेयरों के निर्गम व्ययों[3] को पूरा करने के लिए उस सीमा तक कर सकते हैं कि इस तरह के व्यय सीधे लेन-देन के कारण होने वाली वृद्धिशील लागतें हैं जिन्हें अन्यथा टाला जा सकता था। शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग ऋण लिखतों के निर्गम से संबंधित खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए नहीं किया जाएगा।

20. धोखाधड़ी के प्रावधान के संबंध में, जिन बैंकों ने निर्धारित समय के भीतर धोखाधड़ी की सूचना दी है, उनके पास धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होकर, चार तिमाहियों से अधिक की अवधि के लिए प्रावधान करने का विकल्प होगा। जहां ऐसा बैंक दो से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के लिए प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूर्ण प्रावधान किया जा रहा है, लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, वह राशि से सांविधिक रिजर्व के अलावा अन्य रिजर्व को डेबिट कर सकता है वित्तीय वर्ष के अंत में प्रावधानों को क्रेडिट करके उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि, बाद में, इसे अगले वित्तीय वर्ष की लगातार तिमाहियों में, रिज़र्व में डेबिट को आनुपातिक रूप से उलट देना चाहिए और लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान पूरा करना चाहिए। जहां रिजर्व बैंक को

---

[3] पंजीकरण और अन्य विनियामकीय शुल्क, विधिक, लेखा और अन्य पेशेवर सलाहकारों को भुगतान की गई राशि, मुद्रण लागत और स्टाम्प शुल्क|

धोखाधड़ी की सूचना देने में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब हुआ है, वहां एक ही बार में संपूर्ण प्रावधान करना आवश्यक है।

असमायोजित शेष

21. अदावी शेष का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी अस्थायी खाते में असंगत क्रेडिट शेष राशि को लाभ और हानि खाते या किसी भी भंडार में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल)

22. बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष रिज़र्व पर डीटीएल के लिए प्रावधान करेंगे।

विंडो ड्रेसिंग

23. बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता उसकी वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष तस्वीर को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में विण्डो ड्रेसिंग, शॉर्ट प्रोविजनिंग, एनपीए का गलत वर्गीकरण, एक्सपोजर/जोखिम भार की कम रिपोर्टिंग/गलत गणना, खर्चों का गलत पूंजीकरण, एनपीए पर ब्याज का पूंजीकरण, वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों और देयतायों की जानबूझकर मुद्रास्फीति के उदाहरण और अगले वित्तीय वर्ष में तत्काल परिवर्तन आदि को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

अध्याय – VII
निरसन और अन्य प्रावधान

निरसन और बचत

24. इन निदेशों के जारी होने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुबंध V में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं। उक्त परिपत्रों में दिए गए सभी अनुदेश /दिशानिर्देश इन निर्देशों के तहत दिए गए माने जाएंगे। निरसन की तिथि के पश्चात रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं में उक्त निरसित परिपत्रों के संदर्भ में किसी भी संदर्भ का अर्थ इन निदेशों, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के संदर्भ में होगा। इस तरह के निरसन के बावजूद, एतद्द्वारा निरसित परिपत्रों के तहत की गई कोई कार्रवाई, कथित तौर पर की गई या शुरू की गई, उक्त परिपत्रों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती रहेगी।

अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

25. इन निदेशों के प्रावधान अतिरिक्त होंगे, न कि किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अल्पीकरण में, जो कि वर्तमान में लागू हैं।

व्याख्या

26. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, किसी के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। इसमें शामिल मामला और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

अनुबंध I[4]

(वाणिज्यिक बैंकों पर लागू)

फॉर्म ए
तुलन पत्र का फॉर्म

--- (यहाँ बैंकिंग कंपनी का नाम भरे) का तुलन पत्र

31 मार्च ------------------- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(000 को छोडकर)

	अनुसूची	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1		
आरक्षितिया और अधिशेष	2		
जमा राशियाँ	3		
उधार	4		
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5		
जोड़			
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियां	10		
अन्य आस्तियां	11		
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रहण के लिए बिल			

---

[4] फॉर्म ए और फॉर्म बी भारत सरकार की मूल अधिसूचना एसओ 240 (ई) दिनांक 26 मार्च 1992 से पुन: प्रस्तुत किया गया

अनुसूची 1 – पूंजी

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)		
II	भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए		
	पूंजी		
	(i) आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए।		
	(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि।		
	कुल		
III	अन्य बैंकों के लिए		
	प्राधिकृत पूंजी		
	(______रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
	जारी पूंजी		
	(______ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
	अभिदत्त पूंजी		
	(______रू. के ___ शेयर)		
	कॉल-अप पूंजी		
	(प्रत्येक ______रू. के ___ शेयर)		
	घटाइए: अदत्त मांग		
	जोडीए: समप्रहत शेयर		

अनुसूची 2 – आरक्षितिया और अधिशेष

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	कानूनी आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
II.	पूंजी आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
IV.	राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
V.	लाभ और हानि खाते का अधिशेष		
	जोड़ (1, 2, 3, 4 और 5)		

अनुसूचि 3 – निक्षेप

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए.I.	मांग निक्षेप		
	(i) बैंकों से		
	(ii) अन्य से		
II.	बचत बैंक निक्षेप		
III.	कालिक निक्षेप		
	(i) बैंकों से		
	(ii) अन्य से		
	जोड़ (I, II और III)		
बी.	(i) भारत में शाखाओं के निक्षेप		
	(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप		
	जोड़		

अनुसूची 4 – उधार

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	भारत में उधार		
	(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक		
	(बी) अन्य बैंक		
	(सी) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II.	भारत के बाहर उधार		

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
जोड़ (I और II)		
उपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 – अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. सदेय बिल		
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III. अर्जित ब्याज		
IV. अन्य (इसमे व्यवस्था सम्मिलित है)		
जोड़		

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. हाथ नकदी (इसमे विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य खातों में		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में		
(i) बैंकों में अतिशेष		
(ए) चालू खातों में		
(बी) अन्य जमा खातों में		
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
(ए) बैंकों के पास		
(बी) अन्य संस्थानों में		
जोड़ (i और ii)		
II. भारत में बाहर		
(i) चालू खातों में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन`		
जोड़ (i, ii और iii)		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 8 – विनिधान

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बध पत्र		
(v) अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)		
(ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम		
(iii) अन्य विनिधान (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
कुल जोड़ (I और II)		

अनुसूची 9 – अग्रिम

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए. (i) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार		
(iii) सावधि उधार		
जोड़		
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित		
(iii) अप्रतिभूत		
जोड़		
सी.I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
(ii) सरकारी क्षेत्र		
(iii) बैंक		
(iv) अन्य		
जोड़		
सी.II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से शोध्य		
(ii) अन्यों से शोध्य		
(ए) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
(सी) अन्य		
जोड़		
कुल जोड़ (सी.I और II)		

अनुसूची 10 – स्थिर आस्तियां

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	परिसर		
	पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटोती		
	आज तक मूल्यह्रास		
II.	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटोती		
	आज तक मूल्यह्रास		
	जोड़ (I और II)		

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II.	अर्जित ब्याज		
III.	अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV.	लेखन सामाग्री और स्टैंप		
V.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI.	अन्य*		
	जोड़		

* यदि हानि का कोई असमायोजित शेष है तो उसे इस मद के अंतर्गत उपयुक्त फुट-टिप्पणी के साथ दिखाया जा सकता है।

अनुसूची 12 – समाश्रित दायित्व

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।		
II.	आंशिक रुप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III.	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV.	संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया		
	(a) भारत में		
	(b) भारत के बाहर		
V.	प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
	जोड़		

अनुबंध।
(वाणिज्यिक बैंकों पर लागू)

फॉर्म – बी
31 मार्च (वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का प्रपत्र

(000's को छोडकर)

		अनुसूची	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13		
	अन्य आय	14		
	जोड़			
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15		
	प्रचालन व्यय	16		
	उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
	जोड़			
III.	लाभ/हानि			
	वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि(-)			
	लाभ/हानि(-)आगे लाया गया			
	कुल			
IV.	विनियोजन			
	वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
	अन्य रिज़र्व में अंतरण			
	सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
	अतिशेष जो तुलन पत्र मे आगे लाया गया हैं।			

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा		
II. विनिधानों पर आय		
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 14 – अन्य आय

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ		
घट: विनिधानों के विक्रय पर हानि		
III. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ		
घट: विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि		
IV. भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ		
घट: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि		
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ		
घट: विनिमय संव्यवहारों पर हानि		
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय		
VII. प्रकिर्ण आय		
जोड़		

नोट:मद संख्या I से V के अंतर्गत घाटे कोष्ठको में दिखाए जाएं।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	निक्षेपों पर ब्याज		
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज		
III.	अन्य		
	जोड़		

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था		
II.	भाटक, कर और लाइटिंग		
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री		
IV.	विज्ञापन और प्रचार		
V.	बैंको की संपत्ति पर मूल्यर्हास		
VI.	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)		
VIII.	विधि प्रभार		
IX.	डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.		
X.	मरम्मत और अनुरक्षण		
XI.	बीमा		
XII.	अन्य व्यय		
	जोड़		

अनुबंध II
(वाणिज्यिक बैंकों पर लागू)

भाग ए
संकलन के लिए नोट और निर्देश
तुलन पत्र

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
पूंजी	1		राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	विश्व बैंक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए सरकार से योगदान, यदि कोई हो, सहित केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पूंजी को बैलेंस शीट की दिनांक पर दर्शाया जाएगा।
			भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए पूंजी	आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए। बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा 2 के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि को भी दर्शाया जाना चाहिए। बीआर अधिनियम की धारा 11(2)(बी)(i) के तहत धारित और सीआरएम के रूप में निर्धारित राशि का खुलासा अनुसूची 1: तुलन-पत्र में पूंजी में एक नोट के माध्यम से नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा: *"बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत धारित जमा राशि में से ₹... (पिछले वर्ष: ₹....) को प्रधान कार्यालय (विदेशी शाखाओं सहित) के गैर-केंद्रित रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्सपोजर को ऑफसेटिंग के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के रूप में पदनामित किया गया है और इसे विनियामकीय पूंजी और किसी भी अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के लिए नहीं गिना गया है।"*
			अन्य बैंकों के लिए प्राधिकृत पूंजी (______रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) जारी पूंजी (______ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) अभिदत्त पूंजी (______रू. के ___ शेयर) कॉल-अप पूंजी (प्रत्येक ______रू. के ___ शेयर) घटाइए: अदत्त मांग जोडीए: समप्रहृत शेयर	अधिकृत, निर्गमित, अभिदानित, आकलित पूंजी अलग से दी जाएगी। बकाया कॉलों की कॉल-अप पूंजी से कटौती की जाएगी, जबकि जब्त किए गए शेयरों के चुकता मूल्य को इस प्रकार चुकता पूंजी पर पहुंचने के लिए जोड़ा जाएगा। जहां आवश्यक हो, जिन वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है, उन्हें एक शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा, उदाहरण के लिए 'जारी और अभिदान पूंजी'। *नोट - सामान्य:* 1. उपरोक्त मदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, जैसे, वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा किया गया नया योगदान, पूंजी का नया मुद्दा, रिज़र्व का पूंजीकरण, आदि को नोट में समझाया जाएगा। 2. टियर 1 विनियामकीय पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) को यहां शामिल किया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
आरक्षितिया और अधिशेष	2	(I)	कानूनी आरक्षितिया	धारा 17(1), 11(2)(b)(ii) (इस मास्टर निदेश के अध्याय VI के पैराग्राफ 17 के साथ पठित) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य धारा के अनुपालन में लाभ से सृजित रिजर्व का अलग से खुलासा किया जाएगा।
		(II)	पूंजी आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'पूंजीगत भंडार' में लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए मुफ्त मानी जाने वाली कोई भी राशि शामिल नहीं होगी। पुनर्मूल्यांकन पर अधिशेष पूंजी भंडार के रूप में माना जाएगा। विदेशी शाखाओं (जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर अधिशेष पुनर्मूल्यांकन आरक्षित नहीं है।
		(III)	शेयर प्रीमियम	शेयर पूंजी के निर्गम पर प्रीमियम इस शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा।
		(IV)	राजस्व और अन्य आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'राजस्व आरक्षित' का अर्थ कैपिटल रिजर्व के अलावा कोई भी अन्य रिजर्व होगा। इस मद में अलग-अलग वर्गीकृत के अलावा अन्य सभी रिजर्व शामिल होंगे। अभिव्यक्ति 'आरक्षित' में मूल्यह्रास, नवीनीकरण या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए या किसी ज्ञात देयता के लिए प्रदान करने के माध्यम से रखी गई किसी भी राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। निवेश रिजर्व खाता और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
		(V)	लाभ और हानि खाते का अधिशेष	विनियोग के बाद लाभ का संतुलन शामिल है। हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। *नोट्स - सामान्य:* विभिन्न श्रेणियों के रिज़र्व में संचलनों को अनुसूची में संकेत के अनुसार दिखाया जाएगा।
निक्षेप	3	ए.I)	मांग निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	मांग पर चुकाने योग्य सभी बैंक जमा शामिल हैं।
		(ii)	अन्यों से	गैर-बैंक क्षेत्रों के सभी मांग जमा शामिल हैं। ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट शेष, कैश क्रेडिट खातों, कॉल पर देय जमा, अतिदेय जमा, निष्क्रिय चालू खाते, परिपक्व समय जमा, नकद प्रमाण पत्र और जमा के प्रमाण पत्र आदि इस श्रेणी के तहत शामिल किए जाएंगे।
		(II)	बचत बैंक निक्षेप	सभी बचत बैंक जमा शामिल हैं (निष्क्रिय बचत बैंक खातों सहित)
		(III)	सावधि निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाने योग्य सभी प्रकार के बैंक जमा शामिल हैं।
		(ii)	अन्यों से	एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाने योग्य गैर-बैंक क्षेत्र की सभी प्रकार की जमा राशि शामिल है। सावधि जमा, संचयी और आवर्ती जमा, नकद प्रमाण पत्र, जमा के प्रमाण पत्र, वार्षिकी जमा, विभिन्न योजनाओं के तहत जुटाए गए जमा,

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				साधारण कर्मचारी जमा, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाते आदि को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
		बी.i) ii)	भारत में शाखाओं के निक्षेप भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप	इन दोनों मदों का योग तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल जमाराशियों से मेल खाना चाहिए। *नोट - सामान्य:* 1. जमाराशियों पर देय ब्याज जो उपार्जित है लेकिन देय नहीं है उसे शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अन्य देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा। 2. परिपक्व मीयादी जमाराशियों को मांग जमाराशियों के रूप में माना जाएगा। 3. विशेष योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियों को सावधि जमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा यदि वे मांग पर देय नहीं हैं। जब ऐसी जमाराशियां भुगतान के लिए परिपक्व हो जाती हैं, तो उन्हें मांग जमा के तहत दिखाया जाएगा। 4. बैंकों की जमाराशियों में भारत में बैंकिंग प्रणाली से जमा, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक शामिल होंगे जिनकी भारत में उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। 5. बैंक इस अनुसूची के फुटनोट के माध्यम से यह बताएंगे कि कुल जमाराशियों में से कितनी राशि के विरुद्ध ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है। (चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए)
उधार	4	(I)	भारत में उधार	
		(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रेपो, अन्य उधार या पुनर्वित्त शामिल है।
		(ii)	अन्य बैंक	इसमें रेपो, बैंकों से प्राप्त अन्य उधार या पुनर्वित्त (सहकारी बैंकों सहित) और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(iii)	अन्य संस्थान व अभिकरण	इसमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थानों, एजेंसियों (भागीदारी प्रमाणपत्रों के लिए देयता सहित-जोखिम साझा किए बिना, यदि कोई हो) से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(II)	भारत के बाहर उधार	भारतीय शाखाओं के भारत के बाहर से उधार के साथ-साथ विदेशी शाखाओं के उधार भी शामिल हैं।
			ऊपर में में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	यह मद अलग से दिखाई जाएगी। भारत और भारत के बाहर सुरक्षित उधार/पुनर्वित्त शामिल है।
				नोट्स - सामान्य: 1. I और II के कुल को बैलेंस शीट में दिखाए गए कुल उधार से मेल खाना चाहिए। 2. अंतर-कार्यालय लेनदेन को उधार के रूप में नहीं दिखाया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				3. विदेशी शाखाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों, नोटों, बांडों आदि के माध्यम से जुटाई गई निधियों को दस्तावेज़ीकरण के आधार पर 'जमा', 'उधार' आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 4. बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और विभिन्न संस्थानों से प्राप्त पुनर्वित्त को 'उधार' शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। तदनुसार, अग्रिमों को परिसंपत्ति पक्ष पर सकल राशि पर दिखाया जाएगा। 5. निम्नलिखित को यहां शामिल किया जाएगा: ए) स्थायी ऋण लिखत बी) टियर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स / अपर टियर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स सी) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) डी) प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) ई) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस) एफ) अधीनस्थ ऋण।
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5	(I)	सदेय बिल	इसमें ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ट्रैवलर्स चेक, देय मेल ट्रांसफर, पे स्लिप, बैंकर्स चेक और अन्य विविध मद शामिल हैं।
		(II)	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि क्रेडिट में है, इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। बैंक को पहले अंतर-शाखा खाते में 5 वर्षों से अधिक के लिए बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए और उन्हें एक अलग अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित किया जाए जिसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाए। यहां शामिल करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेन की शुद्ध राशि, या अनुसूची 11, जैसा भी मामला हो, की गणना करते समय, अवरुद्ध खाते की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल शेष क्रेडिट प्रविष्टियों को दर्शानेवाली राशि को डेबिट प्रविष्टियों के विरुद्ध नेट किया जाए। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी, यहां दिखाई जाएगी।
		(III)	अर्जित ब्याज	इसमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन जमा और उधार पर देय नहीं है।
		(IV)	अन्य (प्रावधान सहित)	आयकर और अन्य करों जैसे ब्याज कर (कम अग्रिम भुगतान, स्रोत पर कर कटौती, आदि), आस्थगित कर (यदि नेटिंग के बाद एएस-22 के अनुसार देयता है), अस्थायी प्रावधान, आकस्मिक निधि जो कि रिज़र्व के रूप में दर्शाई नही गई हैं, लेकिन वास्तव में रिज़र्व की प्रकृति में हैं, अन्य देनदारियां जो किसी भी प्रमुख शीर्ष के तहत प्रकट नहीं की जाती हैं जैसे दावा न किए गए लाभांश, प्रावधान और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई धनराशि, असमाप्त छूट, बकाया शुल्क जैसे किराया, वाहन, आदि के लिए शुद्ध प्रावधान शामिल हैं। एक अलग ब्लॉक किए गए खाते में अंतरित समाशोधन अंतर में सकल शुद्ध क्रेडिट को यहां दिखाया जाएगा। ब्लॉक खाते में स्थानांतरित किए गए नोस्ट्रो खातों में बकाया क्रेडिट प्रविष्टियां भी यहां दिखाई जाएंगी।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				नोट - सामान्य: 1. अंतर-कार्यालय समायोजन के निवल शेष की गणना करने के लिए सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और केवल शुद्ध शेष को दिखाया जाएगा, जो पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों को दर्शाता हो। 2. सभी जमाराशियों पर उपार्जित ब्याज, चाहे भुगतान देय हो या नहीं, को देयता के रूप में माना जाएगा। 3. यह केवल जमाराशियों को शीर्ष 'जमा' के तहत दिखाने का प्रस्ताव है और इसलिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आकस्मिक निधियों आदि के लिए सभी अधिशेष प्रावधान, जो संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ निवल नहीं किए गए हैं, उन्हें 'अन्य (प्रावधानों सहित)' शीर्ष के तहत लाया जाएगा। 4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों से नहीं घटाए जाएंगे और तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य' के तहत 'मानक परिसंपत्तियों के खिलाफ प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाए जाएंगे। 5. जहां कहीं भी "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
आस्तियां				
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	(I)	हाथ नकदी (इसमे विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	हाथ में नकदी जिसमे विदेशी मुद्रा नोट तथा विदेशी शाखाओं वाले बैंको की विदेशी शाखाओं द्वारा हाथ में नकदी शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष (i) चालू खातों में (ii) अन्य खातों में	रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा सहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे।
बैंकों के साथ शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	(I) (i) (ए) (बी)	भारत में बैंकों में अतिशेष चालू खातों में अन्य जमा खातों में	जैसा कि नीचे बताया गया है, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को छोड़कर, भारत में बैंकों के साथ सभी शेष राशि (सहकारी बैंकों सहित) को शामिल करता है । चालू खाते और अन्य जमा खातों में शेष राशि अलग से दिखाई जाएगी।
		(ii) (ए) (बी)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि बैंकों के पास अन्य संस्थानों में	निम्नलिखित समाविष्ट जिनकी मूल अवधि 14 दिनों तक है और जिसमें 14 वां दिन शामिल हैं: (i) मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार दिया गया धन (ii) बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 के तहत मद । (ii) ए या । (ii) बी के तहत उपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
		(II)	भारत के बाहर	शेष राशि शामिल है:

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(i) (ii) (iii)	चालू खातों में अन्य जमा खातों में मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	(i) बैंक की विदेशी शाखाओं द्वारा धारित; तथा (ii) बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा भारत के बाहर आयोजित किया जाता है। बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं के साथ रखे गए शेष इस शीर्ष के अंतर्गत नहीं दिखाए जाएंगे। इसके बजाय, इस तरह के शेष को अंतर-शाखा खातों में शामिल किया जाएगा। 'चालू खाते' और 'जमा खाते' में रखी गई राशि अलग-अलग दिखाई जाएगी। भारत के बाहर ' मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि ' में आमतौर पर उस विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों, विनियमों, या बाजार प्रथाओं, जहां मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि जहां ऐसा पैसा उधार दिया जाता है के अनुसार वर्गीकृत जमा राशि शामिल होती है ।
विनिधान	8	(I)	भारत में विनिधान	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी खजाना बिल शामिल हैं।
		(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ए) के तहत रिजर्व बैंक द्वारा 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iii)	शेयर	मद (ii) में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के शेयरों में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iv)	डिबेंचर और बध पत्र	मद (ii) में शामिल नहीं किए गए कंपनियों और निगमों के डिबेंचर[5] और बांड में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(v)	अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (आरआरबी सहित) में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(vi)	अन्य	अवशिष्ट निवेश, यदि कोई हो, जैसे म्युचुअल फंड, सोना, आदि।
		(II)	भारत के बाहर निवेश	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित सभी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(ii)	विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम	भारत से बाहर और/अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में किए गए सभी निवेशों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(iii)	अन्य विनिधान	भारत के बाहर अन्य सभी निवेश इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे।

[5] जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा परिभाषित किया गया है

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
अग्रिम	9	ए.(i)	क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र	धारा ए के तहत वर्गीकरण में, भारत के साथ-साथ भारत के बाहर सभी बकाया अग्रिमों को किए गए प्रावधानों के अनुसार, तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और इसमें सुरक्षित और असुरक्षित दोनों अग्रिमों के साथ-साथ अतिदेय किस्तें शामिल होंगी। फैक्टरिंग के तहत प्राप्त प्राप्तियों को "खरीदे गए और भुनाए गए बिल" के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।
		(ii)	रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार	मांग पर चुकाए जाने वाले सभी ऋण और एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋणों को "नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण" के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्रेडिट परिचालन से संबंधित अन्य शेष, भले ही वे अन्य बैंकों/संगठनों से देय हों, अग्रिमों के हिस्से के रूप में दिखाए जाएंगे। हालांकि, जहां इस तरह के बकाया शुल्क या अन्य राजस्व प्राप्त करने योग्य प्रकृति में हैं, उन्हें अन्य संपत्तियों के रूप में दिखाया जा सकता है।
		(iii)	सावधि उधार	'सावधि ऋण' एक ऐसा ऋण है जिसकी एक निश्चित परिपक्वता होती है और यह किश्तों या बुलेट रूप में देय होता है। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले सभी मीयादी ऋणों को इस श्रेणी (अर्थात ए ***(iii))*** के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण मांग पर चुकौती योग्य ऋण के रूप में होंगे।
		बी.(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	सभी अग्रिम या अग्रिमों का हिस्सा, जिसमें बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं, जो मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित हैं, यहां दिखाए जाएंगे। इस मद में भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित अग्रिम शामिल होंगे। बैंक यह विनिर्दिष्ट करेगा कि मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत अग्रिमों में बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं।
		(ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित	भारत और भारत के बाहर अग्रिमों को भारतीय/विदेशी सरकारों, भारतीय/विदेशी बैंकों, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटियों द्वारा कवर की गई सीमा तक यहां शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत योजनाओं द्वारा कवर किए गए अग्रिमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार[6] की गारंटी द्वारा समर्थित हैं।

[6] समय-समय पर संशोधित 1 अप्रैल, 2024 के बेसल III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 5.2.3 और 5.2.4 के अनुसार।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(iii)	अप्रतिभूत	(i) और (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सभी अग्रिमों को यहां शामिल किया जाएगा। बैंकों को संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए इस शीर्ष के तहत ऐसे अग्रिमों को खाते में नोटों में प्रकटीकरण के साथ गैर-जमानती माना जाएगा। 'ए' का योग 'बी' के योग से मेल खाना चाहिए।
		सी. **(I)** (i) (ii) (iii) (iv) **(II)** (i) (ii) (iii) (iv) (v)	 **भारत में अग्रिम** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सरकारी क्षेत्र बैंक अन्य **भारत के बाहर अग्रिम** बैंकों से शोध्य अन्यों से शोध्य क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र सिंडिकेटेड ऋण अन्य	अग्रिमों को मोटे तौर पर 'भारत में अग्रिम' और 'भारत के बाहर अग्रिम' में वर्गीकृत किया जाएगा। भारत में अग्रिमों को आगे बताए गए अनुसार क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिम, जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। ऐसे अग्रिमों को मद (ii) अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों से बाहर रखा जाएगा। केंद्र/राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों सहित अन्य सरकारी उपक्रमों को दिए गए अग्रिमों को "सार्वजनिक क्षेत्र" श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र के सभी अग्रिम 'बैंक' शीर्ष के अंतर्गत आएंगे। शेष सभी अग्रिमों को शीर्ष 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और आम तौर पर इस श्रेणी में निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों के लिए गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम शामिल होंगे। *नोट्स - सामान्य:* 1. अग्रिमों की सूचना उन पर किए गए प्रावधानों (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अलावा) को मिलाकर दी जाएगी।जहां तक अस्थायी प्रावधानों को टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना गया है, उन्हें भी अग्रिमों से निवलित किया जाएगा। 2. रिपोर्ट किए गए सावधि ऋण में मांग पर चुकाए जाने योग्य ऋण शामिल नहीं होंगे। 3. संघीय अग्रिमों को अन्य सहभागी बैंकों/संस्थाओं के हिस्से के निवल प्रतिवेदित किया जाएगा। 4. बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए सभी ब्याज वाले ऋण और अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 5. अन्य बैंकों/संगठनों को दिए गए अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 6. अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं यहां परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, इसे अन्य संपत्तियों में "ब्याज अर्जित" के तहत दिखाया जाए। 7. बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में सुरक्षा/संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती के रूप में माना जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				8. आहरित सीमा तक आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं को अग्रिम माना जाएगा। 9. जोखिम बंटवारे के साथ अंतर-बैंक भागीदारी की कुल राशि को जारीकर्ता बैंक द्वारा बकाया कुल अग्रिमों में से घटा दिया जाएगा। भाग लेने वाले बैंक अग्रिमों के तहत अंतर-बैंक भागीदारी की राशि दिखाएंगे। जहां भागीदारी में जोखिम का बंटवारा नहीं है, यह भाग लेने वाले बैंक द्वारा अनुसूची 9 के तहत बैंकों से देय के रूप में परिलक्षित होगा। 10. बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि वाले रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 - 'अग्रिम' के तहत निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा: i.ए.(ii) 'क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र' ii.बी.(i) 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' iii.सी.(I).(iii) बैंक (iv) 'अन्य' (यथास्थिति)
स्थिर आस्तियां	10	(I) (i) (ii) (iii) (iv)	परिसर पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यर्हास	आवासीय परिसर सहित व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बैंक के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली भूमि सहित परिसर को 'परिसर' के आगे दर्शाया जाएगा। परिसर और अन्य अचल संपत्तियों के मामले में, पिछले शेष, उसमें वृद्धि और वर्ष के दौरान उसमें से कटौती के साथ-साथ कुल मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाएगा।
		(II) (i) (ii) (iii) (iv)	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं) पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यर्हास	फर्नीचर और फिक्स्चर, वाहन और अन्य सभी अचल संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
अन्य आस्तियां	11	(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि नामे में है तो इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी स्थिति, यहां दिखाई जाएगी। अंतर-कार्यालय समायोजन खातों के निवल शेष की गणना करने के लिए, सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और निवल शेष, यदि केवल नामे में है, पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाएगा। जहां कहीं भी अनुसूची "अन्य" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(II)	अर्जित ब्याज	अर्जित ब्याज लेकिन जो निवेश और अग्रिमों पर देय नहीं है और देय ब्याज लेकिन जो निवेश पर वसूली नहीं किया गया, इस मद के मुख्य घटक होंगे। चूंकि बैंक आम तौर पर तुलन पत्र की तारीख पर देय ब्याज के साथ उधारकर्ताओं के खाते से डेबिट करते हैं, आमतौर पर अग्रिमों पर ब्याज की कोई राशि नहीं होगी। इस शीर्ष के तहत केवल वही ब्याज दिखाया जाएगा जो सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त किया जा सकता है।
		(III)	अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती	भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), आदि जब तक इस सीमा तक कि इन मदों को संबंधित कर प्रावधानों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है, उन्हें इस मद के सामने दिखाया जाएगा।
		(IV)	लेखन सामाग्री और स्टैंप	स्टेशनरी पर व्यय की केवल अपवादात्मक मदें जैसे सुरक्षा कागज, लूज लीफ या अन्य लेज़रों की थोक खरीद आदि, जिन्हें एक समयावधि में बट्टे खाते में डालने वाली अर्ध-परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें यहां दर्शाया जाएगा। मूल्य वास्तविक आधार पर होगा और लागत वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये आइटम आंतरिक उपयोग के लिए हैं।
		(V)	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां	दावों की संतुष्टि में अर्जित अचल संपत्तियों/मूर्त संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना है।
		(VI)	अन्य	इसमें दावों जैसी मदे जो पूरी नहीं हुई हैं शामिल होंगी, उदाहरण के लिए, समाशोधन मदें, संपत्ति में वृद्धि को दर्शाने वाली डेबिट मदें या देनदारियों में कमी जिन्हें तकनीकी कारणों से समायोजित नहीं किया गया है, विवरण की कमी आदि। ब्याज के अलावा अन्य अर्जित आय को भी यहां शामिल किया जाए। बैंक के कर्मचारियों को दिए गए सभी गैर-ब्याज वाले ऋणों और अग्रिमों की सूचना यहां दी जाएगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पास नकद मार्जिन जमा को यहां दिखाया जाएगा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी गई जमाराशियों को यहां शामिल किया जाएगा। बैलेंस शीट की अनुसूची **11** में फुटनोट के रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए ऐसी जमाराशियों का विवरण भी बैंक उद्धृत करेंगे।
समाश्रित देयताएं	12	(I)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।	--
		(II)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर आदि पर देयता इस शीर्ष में शामिल की जाएगी।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(III)	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	बकाया वायदा विनिमय अनुबंध यहां शामिल किए जाएंगे।
		(IV) (i) (ii)	संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया भारत में भारत के बाहर	भारत और भारत के बाहर के घटकों के लिए दी गई गारंटियां अलग से दिखाई जाएंगी।
		(V)	प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ	इस मद में बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किए गए साख पत्र और बिल शामिल होंगे।
		(VI)	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	संचयी लाभांश की बकाया राशि, बिलों की पुनर्भुनाई, हामीदारी अनुबंधों की प्रतिबद्धताएं, पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई आदि को यहां शामिल किया जाए। सभी दावा न की गई देनदारियां (जहां बकाया राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के तहत स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दी गई है) को यहां दिखाया जाएगा। आहरित आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाएं यहां दिखाई जाएंगी। जब जारी ('WI') प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के जारी होने तक उन्हें ऑफ बैलेंस शीट आइटम के रूप में बहियों में दर्ज किया जाए। 'WI' बाजार में तुलनपत्र से बाहर की निवल स्थिति को 'WI' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य पर दैनिक आधार पर बाजार में शेयर के अनुसार चिह्नित किया जाए। यदि 'WI' सुरक्षा की कीमत उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित अंतर्निहित सुरक्षा के मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे प्रदान किया जाना चाहिए और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाना चाहिए। डिलीवरी होने पर, अंतर्निहित सुरक्षा को , अनुबंधित मूल्य पर होल्ड करने के इरादे के आधार पर तीन श्रेणियों में से किसी एक अर्थात; 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' या 'ट्रेडिंग के लिए धारित' में वर्गीकृत किया जा सकता है ।
वसूली के लिए बिल	--		--	बिल और अन्य मदें जो वसूली के मार्ग में है और समायोजित नहीं की गई है उन्हें इस मद में केवल सारांश रूप में दिखाया जाएगा। अलग से कोई अनुसूची प्रस्तावित नहीं है।

लाभ और हानि लेखा

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
अर्जित ब्याज	13	(I)	ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा	सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों जैसे नकद ऋण, मांग ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात ऋण, सावधि ऋण, घरेलू और खरीदे गए विदेशी बिल और भुनाए गए (जिनमें पुनर्भुनाई गई है), ऐसे अग्रिम/बिल पर अतिदेय ब्याज और ब्याज सब्सिडी, यदि कोई हो, पर ब्याज और छूट शामिल है।
		(II)	विनिधानों पर आय	ब्याज और लाभांश के रूप में निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त सभी आय शामिल है। एचटीएम सिक्योरिटीज के संबंध में परिशोधित प्रीमियम की राशि को यहां कटौती के रूप में दिखाई जाएगी। कटौती का खुलासा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान प्रतिभूति का बही मूल्य परिशोधित राशि की सीमा तक घटाया जाना जारी रहेगा।
		(III)	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि पर ब्याज, कॉल ऋण, मुद्रा बाजार प्लेसमेंट आदि शामिल हैं।
		(IV)	अन्य	इसमें अन्य कोई ब्याज/छूट आय शामिल है जो उपरोक्त शीर्षों में शामिल नहीं है।
				नोट : सामान्य रिवर्स रेपो ब्याज आय खाते में शेष राशि को अनुसूची 13 (मद III या IV के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
अन्य आय	14	(I)	कमिशन, विनिमय और दलाली	इसमें वसूली पर कम्मीशन, प्रेषण और हस्तांतरण पर कम्मीशन/एक्सचेंज, क्रेडिट और बैंक गारंटी के पत्रों पर कम्मीशन, लॉकर को किराए पर देना, सरकारी व्यवसाय पर कम्मीशन, परामर्श और अन्य सेवाओं सहित अन्य अनुमत एजेंसी व्यवसाय पर कम्मीशन, प्रतिभूतियों पर दलाली, आदि जैसी सेवाओं पर सभी पारिश्रमिक शामिल है। इसमें विदेशी मुद्रा से आय शामिल नहीं होता। जहां कहीं भी अनुसूची "कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज" के तहत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, भुगतान बैंकों द्वारा ऐसे सभी मदों के विवरणों का प्रकटीकरण खातों के नोट में किया जाएगा।
		(II)	विनिधानों के विक्रय पर लाभ *कम करें:* निवेश पर विक्रय पर हानि विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ *कम करें:* विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	इसमें प्रतिभूतियों, फर्नीचर, भूमि और भवन, मोटर वाहन, सोना, चांदी, आदि की बिक्री पर लाभ / हानि शामिल है। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति हानि है, तो राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ मूल्यह्रास के प्रावधान (या अधिक मूल्यह्रास का उलट) पर निवल लाभ/हानि भी इस मद के तहत दिखाया जाएगा। गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) का प्रावधान यहां दिखाने के बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(III) (IV)	भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *कम करें :* भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि	
		(V)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घट: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर लाभ/हानि, विदेशी मुद्रा के माध्यम से अर्जित सभी आय और ब्याज को छोड़कर जो ब्याज शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, विदेशी मुद्रा लेनदेन पर कम्मीशन और प्रभार। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति एक हानि है, तो इसे कटौती के रूप में दिखाया जाना है।
		(VI)	विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	
		(VII)	प्रकिर्ण आय	इसमें घटकों से गोदाम के किराए के लिए वसूली, बैंक की संपत्तियों से आय, प्रतिभूति शुल्क, बीमा आदि और अन्य किसी भी विविध आय शामिल है। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण टिप्पणियों में दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट (PSLCs) की बिक्री से प्राप्त शुल्क यहां दिखाया जाएगा।
व्यय किया गया ब्याज	15	(I)	निक्षेपों पर ब्याज	इसमें बैंकों और अन्य संस्थानों से जमा राशि सहित सभी प्रकार की जमाराशियों पर दिया गया ब्याज शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज	इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से सभी उधार और पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है।
		(III)	अन्य	इसमें वित्तीय संस्थानों से सभी उधारों/पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है। भागीदारी प्रमाण पत्र पर ब्याज, भुगतान किया गया दंडात्मक ब्याज आदि जैसे अन्य सभी भुगतान यहां शामिल किए जाएंगे। नोट : सामान्य 1. रेपो ब्याज व्यय खाते में शेष राशि को अनुसूची 15 (मद II या III के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। 2. सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों को प्राप्त करते समय, बैंकों को निवेश की लागत के हिस्से के रूप में विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				पूंजीकृत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यय के रूप में बुक करना चाहिए।
परिचालन व्यय	16	(I)	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था	कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी, भत्ते, बोनस, अन्य कर्मचारी लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए पोशाक, छुट्टी किराया रियायतें, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं।
		(II)	भाटक, कर और लाइटिंग	इमारतों पर बैंकों द्वारा भुगतान किया गया किराया, नगरपालिका और भुगतान किए गए अन्य करों (आयकर और ब्याज कर को छोड़कर), बिजली और अन्य समान शुल्क और लेवी शामिल है। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और इसी तरह के अन्य भुगतान 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' शीर्ष के तहत दिखाई देंगे।
		(III)	मुद्रण और लेखन सामग्री	इसमें बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली किताबें और फॉर्म और स्टेशनरी आइटम और अन्य मुद्रण शुल्क शामिल हैं जो प्रचार व्यय के माध्यम से खर्च नहीं किए जाते हैं।
		(IV)	विज्ञापन और प्रचार	प्रचार सामग्री के मुद्रण शुल्क सहित विज्ञापन और प्रचार उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा किया गया व्यय शामिल है।
		(V)	बैंक की संपत्ति का मूल्यह्रास	इसमें बैंक की अपनी संपत्ति, कारों और अन्य वाहनों, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग, वॉल्ट, लिफ्ट, लीजहोल्ड संपत्ति, गैर-बैंकिंग संपत्ति आदि पर मूल्यह्रास शामिल है।
		(VI)	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	सिट्टिंग शुल्क, भत्ते और निदेशकों की ओर से किए गए अन्य सभी खर्च शामिल हैं। दैनिक भत्ता, होटल शुल्क, वाहन शुल्क, आदि जो हालांकि खर्च किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। स्थानीय बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड की समितियों आदि के समान व्यय को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
		(VII)	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	इसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस और उनके कर्तव्यों के पालन के लिए आनेवाले सभी खर्च शामिल हैं, भले ही वे खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के हों। यदि बैंक ने स्वयं आंतरिक निरीक्षणों और लेखा परीक्षा तथा अन्य सेवाओं के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है तो उस संदर्भ में किए गए व्ययों को, शुल्क सहित, इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
		(VIII)	विधि प्रभार	सभी कानूनी खर्च और कानूनी सेवाओं के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति यहां शामिल की जाएगी।
		(IX)	डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.	सभी डाक शुल्क जैसे स्टैम्प, टेलीफोन आदि शामिल हैं।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(X)	मरम्मत और अनुरक्षण	बैंक की संपत्ति की मरम्मत, उनके रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं।
		(XI)	बीमा	इसमें बैंक की संपत्ति पर बीमा शुल्क, डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम आदि शामिल हैं, जिस सीमा तक वे संबंधित पक्षों से वसूल नहीं किए जाते हैं।
		(XII)	अन्य व्यय	लाइसेंस शुल्क, दान, कागजात की सदस्यता, पत्रिकाएं, मनोरंजन व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि जैसे किसी भी अन्य शीर्ष में शामिल नहीं होने के अलावा अन्य सभी खर्च इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई विशेष मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण नोटों में दिया जाएगा। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क यहां दिखाया जाएगा।
प्रावधान और आकस्मिकताएं				अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए सभी प्रावधान, कराधान के प्रावधान, गैर-निष्पादित निवेश के प्रावधान, आकस्मिकताओं के लिए स्थानांतरण और अन्य समान मदों को शामिल करता है।

भाग बी

<u>कुछ लेखांकन मानकों संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन</u>

1. लेखांकन मानदण्ड 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधिमदेंतथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में कुछ मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम समान आधार पर ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करें। तदनुसार, इस मानक में असाधारण और पूर्व अवधि के मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण और सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर कुछ मदों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। यह लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए लेखांकन उपचार भी निर्दिष्ट करता है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों पर विवरणों की प्रस्तावना के पैराग्राफ 4.3 में कहा गया है कि लेखांकन मानकों का उद्देश्य केवल उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। चूंकि भौतिकता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को पूर्व अवधि की आय या पूर्व अवधि के व्यय की किसी भी मद के संबंध में लेखा मानक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जो कुल आय/कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक है, यदि बैंक आय/व्यय की गणना सकल आधार पर की जाती है या कर से पहले निवल लाभ का एक प्रतिशत या निवल हानि जैसा भी मामला हो, अगर आय की गणना लागतों का निवल माना जाता है। चूंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत फॉर्म बी में निर्धारित बैंकों के लाभ और हानि खातों का प्रारूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि के मदों के प्रभाव का प्रकटीकरण प्रदान नहीं करता है, ऐसे प्रकटीकरण, जहां कहीं अपेक्षित है, भी बैंकों के तुलन-पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' में किया जा सकता है।

2. लेखांकन मानदण्ड 9 – आगम मान्याता

गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामले में बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह मानक के प्रावधान के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की मान्यता के स्थगन को मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।

3. लेखांकन मानदण्ड 11 - विदेशी विनयम दरो में परिवर्तन के प्रभावो हेतु लेखांकन

एएस 11 को विदेशी मुद्राओं में लेनदेन के लिए लेखांकन और विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन के संदर्भ में लागू किया जाता है। इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान की गई है और मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय बैंकों को निम्नलिखित द्वारा मार्गदिशित किया जाएगा:

(I) अभिन्न और गैर- अभिन्न विदेशी परिचालनों का वर्गीकरण

एएस 11 के अनुच्छेद 17 में किसी वित्तीय परिचालन को रिपोर्टिंग उद्यम संबंधी उसके वित्तीयन और परिचालन के आधार पर विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों बनाने का तरीका बताया गया है। इस प्रयोजन के लिए, विदेशी परिचालनों को "अभिन्न विदेशी संचालन" या "गैर-अभिन्न विदेशी संचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहां जो मुद्दा उठता है वह "अभिन्न विदेशी संचालन" या "गैर-अभिन्न विदेशी संचालन" के रूप में विदेशों में स्थापित प्रतिनिधि कार्यालयों, विदेशी शाखाओं और भारत में स्थापित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के वर्गीकरण से संबंधित है।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के संचालन और मानक के पैरा 20 में सूचीबद्ध संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं, IFSC बैंकिंग यूनिट्स (IBUs) और बैंकों द्वारा भारत में स्थापित ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स (OBUs) को "गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विदेशों में स्थापित बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों के संचालन और मानक के अनुच्छेद 18 में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधि कार्यालयों को "अभिन्न विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ये वर्गीकरण मानक के अनुपालन के सीमित उद्देश्य के लिए हैं।

(II) विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन के लिए विनिमय दर.

मानक के पैराग्राफ 9 और 21 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा लेनदेन भारतीय शाखाओं और अभिन्न विदेशी परिचालनों द्वारा, रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की तिथि पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर को लागू करके दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, मानक के पैराग्राफ 24 (बी) में कहा गया है कि गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भारतीय शाखाओं और बैंकों के अभिन्न विदेशी परिचालनों को उनके व्यापक शाखा नेटवर्क और लेनदेन की मात्रा के कारण उन मदों के संबंध में लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो भारतीय रुपये में दर्ज नहीं की जा रही हैं या वर्तमान में एक अनुमानित विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज की जा रही हैं। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करके गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन की आय और व्यय मदों का अनुवाद करने में बैंकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

जो बैंक अपनी भारतीय शाखाओं में और अभिन्न विदेशी परिचालनों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने और और एएस 11 के तहत अपेक्षित अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के निर्धारण की स्थिति में है, वे अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। बैंकों, जिनके पास एक व्यापक शाखा नेटवर्क है, विदेशी मुद्रा लेनदेन की एक बड़ी मात्रा है और तकनीकी मोर्चे पर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा:

ए) मानक का अनुच्छेद 10, व्यावहारिक कारणों से, उस दर के उपयोग की अनुमति देता है जो लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है। मानक में यह भी कहा गया है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, तो एक अवधि के लिए औसत दर का उपयोग

अविश्वसनीय है। चूंकि उद्यमों को लेनदेन होने की तारीख पर ही उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग वर्तमान सप्ताह में होने वाले लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, यदि यह तारीख पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है तो। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करने में व्यावहारिक दृष्टि से बैंकों को आनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए और और चूंकि मानक किसी एक दर के उपयोग की अनुमति देता है जो लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है, बैंक नीचे दिए गए अनुसार औसत दरों का उपयोग कर सकते हैं:

बी) एफ़ईडीएआई प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत समापन दर और विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में एक त्रैमासिक औसत समापन दर प्रकाशित करता है।

सी) भारतीय शाखाओं और अभिन्न विदेशी परिचालनों के संबंध में, वे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो वर्तमान में लेनदेन की तारीख को भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अब एफ़ईडीएआई द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग करते हुए लेनदेन की तिथि पर दर्ज किए जाएंगे, यदि यह लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है तो।

डी) आम तौर पर, भारतीय बैंक अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए तिमाही या लंबे अंतराल पर समेकित खाते तैयार करते हैं। इसलिए बैंक तिमाही के दौरान गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों का अनुवाद करने के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में एफ़ईडीएआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर का उपयोग कर सकते हैं।

ई) यदि पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेन-देन की तिथि के वास्तविक दर का लगभग निकट नहीं आती है, तो लेन-देन की तिथि पर समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर का अनुमान लगाने के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि (ए) पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (बी) लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है। गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों के संबंध में, यदि तिमाही के दौरान विनिमय दर का उल्लेखनीय रूप से उतार-चढ़ाव होता है, तो गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों का निर्धारण तिमाही औसत समापन के बजाय लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए यदि दोनों दरों के बीच का अंतर लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के सात प्रतिशत से अधिक है तो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को महत्वपूर्ण माना जाएगा।

एफ) बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा लेनदेन के साथ-साथ अभिन्न विदेशी परिचालनों को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को सुसज्जित करें और लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों को परिवर्तित करें।

(III) समापन दर

मानक का पैराग्राफ 7 'समापन दर' को बैलेंस शीट की तारीख में विनिमय दर के रूप में परिभाषित करता है। बैंकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए एएस 11 (संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू होने वाली समापन दर उस लेखा अवधि के लिए एफईडीएआई द्वारा घोषित विनिमय की अंतिम क्लोजिंग स्पॉट दर होगी।

(IV) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षण (एफ़सीटीआर)

विदेशी शाखाओं से संचित लाभ/प्रतिधारित आय के प्रत्यावर्तन पर एफसीटीआर से लाभ और हानि खाते में लाभ की मान्यता के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएस 11 के अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन में संचित लाभ के प्रत्यावर्तन को ब्याज के निपटान या आंशिक निपटान के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, बैंक विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षण में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं देंगे।

4. लेखांकन मानदण्ड 17 – प्रखण्ड लेखांकन

'एएस 17 – संवर्ग रिपोर्टिंग' के तहत प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप नीचे दिए गए हैं: -

फॉर्मेट

भाग अ – कारोबार संवर्ग

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार संवर्ग	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व										
परिणाम										
अनाबंटित खर्चे										
परिचालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य सूचना:										
संवर्ग आस्तियां										
अनाबंटित आस्तियां										
कुल आस्तियां										
संवर्ग देयताएँ										
अनाबंटित देयताएँ										
कुल देयताएँ										

नोट : छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है

भाग आ : भौगोलिक संवर्ग

(राशि ₹ करोड़ में)

	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अ) राजस्व						
(आ) आस्तियां						

नोट:

ए) कारोबार संवर्ग को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग प्रारूप माना जाएगा और भौगोलिक संवर्ग द्वितीयक रिपोर्टिंग प्रारूप होगा।

बी) कारोबार संवर्ग 'राजकोष', 'कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग', 'खुदरा बैंकिंग' और 'अन्य बैंकिंग परिचालन' होंगे।

सी) 'घरेलू' और 'अंतर्राष्ट्रीय' संवर्ग प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।

डी) खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए बैंक उचित और सुसंगत आधार पर अपने तरीके अपनाएंगे।

ई) 'ट्रेजरी' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।

एफ) खुदरा बैंकिंग में ऐसे एक्सपोजर शामिल होंगे जो बेसल III: पूंजी विनियम (समय-समय पर संशोधित) पर मास्टर निदेश में निर्धारित खुदरा एक्सपोजर के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रैन्युलैरिटी, और व्यक्तिगत एक्सपोजर के कम मूल्य जैसे चार मानदंडों को पूरा करते हैं। एएस-17 के तहत रिपोर्टिंग के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण भी खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा बनेंगे।

जी) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग में ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और वैधानिक निकायों को दिए जानेवाले सभी अग्रिम शामिल हैं, जो 'रिटेल बैंकिंग' के तहत शामिल नहीं हैं.

एच) अन्य बैंकिंग कारोबार में अन्य सभी बैंकिंग परिचालन शामिल हैं जो 'ट्रेजरी', 'थोक बैंकिंग' और 'खुदरा बैंकिंग' सेगमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें अन्य सभी अवशिष्ट परिचालन जैसे पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियां भी शामिल होंगी।

आई) उपर्युक्त खंडों के अलावा, बैंक "अन्य बैंकिंग कारोबार" के अंतर्गत अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करेंगे जो रिपोर्ट योग्य संवर्गों की पहचान के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

जे) वाणिज्यिक बैंक *(*आरआरबी, एलएबी और पीबी को छोड़कर*)* 'खुदरा बैंकिंग' खंड को (i) डिजिटल बैंकिंग और (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित करेंगे। डिजिटल बैंकिंग खंड (डीबीयू) या मौजूदा डिजिटल बैंकिंग उत्पादों द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से जुड़े व्यवसाय डिजिटल बैंकिंग खंड के तहत एकत्रित किए जाने के योग्य होंगे।

5. लेखांकन मानदण्ड 18 – सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति

एएस 18 के पैराग्राफ 23 से 26 के लिए आवश्यक प्रकटीकरण का तरीका नीचे दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण स्वरूप है और संपूर्ण नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

मद/संबन्धित पार्टी	पेरंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियाँ	सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार #						
जमा राशि#						
जमाराशियों का नियोजन #						
अग्रिम #						
निवेश #						
गैर-निधि प्रतिबद्धताएँ #						
लीजिंग/ लाभ उठाए गए एचपी व्यवस्था#						
लीजिंग/प्रदान की गई एचपी व्यवस्था#						

मद/संबन्धित पार्टी	पेरंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियाँ	सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
स्थिर आस्तियों की खरीद						
स्थिर आस्तियों की बिक्री						
चुकता ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएँ प्रदान करना*						
सेवाएँ प्राप्त करना*						
प्रबन्धक ठेके *						

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के सीईओ।

वर्ष के अंत में और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि का खुलासा किया जाना है।

* ठेका सेवाएँ आदि और विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जो सेवा नहीं है।

नोट:

i) किसी बैंक के लिए संबंधित पक्ष उसके पेरंट, सहायक (कंपनियां), सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार हैं। केएमपी किसी भारतीय बैंक के लिए पूर्णकालिक निदेशक और भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। केएमपी के रिश्तेदार आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 एस में दर्शाई गई अनुसार होंगे।

ii) जहां मानक के दायरे में नियंत्रण मौजूद है, भले ही कोई कोई लें-दें हुआ हो, संबंधित पार्टी संबंधों के नाम और स्वरूप का खुलासा किया जाएगा। पेरंट-अनुषंगी संबंधों के मामले में नियंत्रण सामान्य रूप से मौजूद रहेगा। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के कुल तक सीमित रहेगा और वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होगा।

iii) लेखांकन मानक सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होते हैं। लेखांकन मानक राज्य-नियंत्रित उद्यमों को छूट देता है अर्थात, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से जो राज्य नियंत्रित उद्यम भी हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने लेन-देन का खुलासा सहायक कंपनियों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें अन्य संबंधित पक्षों के साथ अपने लेनदेन का खुलासा करना होगा।

iv) गोपनीयता संबंधी प्रावधान : यदि संबंधित पार्टियों की उपरोक्त किसी भी श्रेणी में केवल एक संबंधित पार्टी इकाई है, तो कोई भी प्रकटीकरण ग्राहक की गोपनीयता के उल्लंघन के समान होगा। एएस 18 के संदर्भ में, प्रकटीकरण आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं जब इस तरह के खुलासे प्रदान करने से रिपोर्टिंग उद्यम की गोपनीयता के कर्तव्यों का उल्लंघन होगा, जैसा कि विशेष रूप से क़ानून के संदर्भ में, नियामक या इसी तरह के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई सांविधिक या नियामक किसी उद्यम को कुछ ऐसी जानकारी का खुलासा करने से रोकता है, जिसका खुलासा करना आवश्यक है, तो ऐसी जानकारी का खुलासा न करने को लेखा मानकों का अनुपालन न करने के रूप में नहीं माना जाएगा। ग्राहकों के विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंकों के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानून कर्तव्य के कारण, उन्हें इस तरह के प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां लेखा मानकों के तहत प्रकटीकरण संबंधित पार्टी की किसी भी श्रेणी के संबंध में समग्र प्रकटीकरण नहीं हैं, अर्थात जहां संबंधित पार्टी की किसी भी श्रेणी में केवल एक इकाई है, वहां बैंकों को उस संबंधित पार्टी के साथ संबंध के अलावा उस पार्टी से संबंधित किसी भी विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

6. लेखांकन मानदण्ड 23 – समेकित वित्तीय विवरणो में निविशो हेतु लेखांकन

7. लेखांकन मानदण्ड 24 – बन्द हो रही गतिविधियाँ

यह मानक परिचालनों को समाप्त करने के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयान /बंद किए जाने पर लागू नहीं होगा इस मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण केवल तब आवश्यकता होगी जब: i)परिचालन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बैंकों द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं की कटौती हुई हो अथवा किसी परिचालन के समाप्त करने के निर्णय जिससे उपर्युक्त प्रभाव होगा को बैंकों ने अंतिम रूप दिया है, तथा ii) समाप्त परिचालन अपनी संपूणर्ता में महत्वपूर्ण है।

8. लेखांकन मानदण्ड 25 – अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन

यह मानक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री और अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण या संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के लिए मान्यता और मापन के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। लिस्टिंग समझौतों की शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन एएस 25 के तहत परिकल्पित अंतरिम रिपोर्टिंग के समान नहीं होंगे और इस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों के लिए निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए एएस 25 अनिवार्य नहीं है। तथापि, एएस 25 के तहत निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों का अनुपालन ऐसी त्रैमासिक रिपोर्टों के संबंध में किया जाएगा ।

9. लेखांकन मानदण्ड 26 – अमूर्त संम्पत्तिया

यह मानक ऐसी अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन विधि निर्धारित करता है जो विशेष रूप से किसी अन्य लेखांकन मानक के आधार पर नहीं निपटाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों के संबंध में जिसे बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और कुछ समय के लिए जिनका उपयोग में रहने की उम्मीद है, इस मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता और परिशोधन सिद्धांत में इन विषयों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जा सकता है । यह उल्लेखनीय है कि एएस 26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त और शामिल अमूर्त आस्तियों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बैंकों को किसी भी लाभांश की घोषणा करने से तब तक मना किया गया है, जब तक कि मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किए गए किसी भी व्यय को तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अपनी लेखा पुस्तकों में किसी भी अमूर्त आस्तियों को शामिल करते समय लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट लेनी होगी ।

10. लेखांकन मानदण्ड 27 - संयुक्त उपक्रम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन

यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लेखांकन और संयुक्त उद्यम आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय तथा निवेशकों के वित्तीय विवरणों में खर्चों की रिपोर्टिंग में लागू किया जाता है, चाहे संयुक्त उद्यम द्वारा संचालित गतिविधियां किसी भी संरचना या रूप के हों । यह मानक व्यापक रूप से संयुक्त उद्यमों की तीन प्रकार में अर्थात् संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रितआस्तियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की पहचान करता है। संयुक्त रूप से नियंत्रित ऐसे संस्थाओं के मामले में, जहां बैंकों को सीएफएस प्रस्तुत करना होता है, संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखांकन इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । संयुक्त उद्यमों के संबंध में, संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के लिए यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सीएफएस दोनों के लिए लागू होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि लेखांकन मानक के पैराग्राफ 26 में यह निर्धारित किया गया है कि एकल वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश लेखांकन मानक 13 के अनुसार किया जाना है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रकार के निवेश को बैंकों के एकल वित्तीय विवरणों में परिलक्षित किया जाना है क्योंकि लेखांकन मानक 13 बैंकों पर लागू नहीं होता है । बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी को सहयोगी संस्था माना जाएगा और आरआरबी में निवेश के लिए एएस 27 लागू नहीं होगा । हालांकि, आरआरबी में निवेश को लेखांकन मानक 23 के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के रूप मेन किया जाएगा।

11. लेखांकन मानदण्ड 28 – संम्पत्तियो में व्यवधान

यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जो किसी उद्यम के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए लागू होता है कि उसकी संपत्ति उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक माल-सूची, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों जैसे ऋण और अग्रिमों पर लागू नहीं होगा और जहां तक नियत आस्तियों का संबंध है तो सामान्य रूप से यह बैंकों पर लागू होगा । यह मानक सामान्य रूप से वित्तीय पट्टा आस्तियों और गैर- बैंकिंग दावों के निपटान में अधिग्रहीत आस्तियों पर तभी लागू होगा जब किसी इकाई की हानि के संकेत स्पष्ट होते हैं ।

अनुबंध III
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'लेखांकन की टिप्पणी'

ए. सामान्य

वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में इन निदेशों में सूचीबद्ध मदों का प्रकटन किया जाएगा। बैंक आवश्यक होने पर अतिरिक्त प्रकटन करेंगे ।

बी. प्रस्तुति

तुलन पत्र के अनुसूची के अलावा, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' और 'लेखांकन की टिप्पणी का सारांश अलग-अलग अनुसूची में बताया जाएगा।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

बैंक, 'लेखांकन की टिप्पणी' में कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। बैंक यह नोट करें कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेन-देन या मद का उल्लेख होने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेन-देन की अनुमति या अन्यथा निर्धारित करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे । ये वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंको के लिए सामान्य टेम्पलेट्स हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता है। आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंक उन लाइन मदों/प्रकटीकरणों को छोड़ सकते हैं जो चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में लागू/अनुमत या कोई एक्सपोजर/लेनदेन के नहीं हैं। बैंक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में सूचित सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी का प्रकटन करेंगे। इसके अलावा, बैंकों द्वारा विस्तृत और वर्णनात्मक जानकारी के लिए तुलनात्मक विवरण शामिल किया जाएगा यदि यह वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है । इस अनुबंध में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं में से, अनुबंध III-ए में उल्लिखित प्रकटीकरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष से आरसीबी के लिए अनिवार्य होंगे।

1. विनियामकीय पूंजी

ए) विनियामकीय पूंजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)* /चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि @ (निवल कटौती, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी */अन्य टियर 1 पूंजी@		
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)		
iv)	टियर 2 पूंजी		
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडबल्यूए)		

क्र. सं.	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि@		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
xi)	लीवरेज अनुपात *		
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत a) भारत सरकार b) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें)$ c) प्रायोजक बैंक$		
xiii)	वर्ष के दौरान एकत्र चुकता पूंजी की राशि		
xiv)	वर्ष के दौरान एकत्र गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार के अनुसार सूची[7] प्रदान करें (स्थायी गैर –संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज़ लिखत आदि) । वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		
xv)	वर्ष के दौरान एकत्र टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार के अनुसार सूची[8] प्रदान करें (स्थायी गैर –संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज़ लिखत आदि) । वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		

[7] उदाहरण: कोई वाणिज्यिक बैंक निम्नानुसार प्रकटन कर सकता है :

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	###	###
ए) बेसल III अनुपालित स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर बी) बेसल III अनुपालित स्थायी कर्ज़ लिखत	### ###	### ###

[8] उदाहरण: कोई सहकारी बैंक निम्नानुसार प्रकटन कर सकता है :

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से:	###	###
a) स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर b) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर c) …..	### ### ###	### ### ###

* वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू। लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवश्यक है जहां यह लागू होता है।

@सहकारी बैंकों के लिए लागू
$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

बी) रिजर्व से ड्राडाउन

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से 3 माह तक	3 माह से अधिक से 6 माह तक	6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा[9]												
अग्रिम												
निवेश												
उधार												
विदेशी मुद्रा आस्तियां												
विदेशी मुद्रा देयताएँ												

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी) और सहकारी बैंकों पर लागू नहीं है)

[9] बचत बैंक खाते और चालू जमा खातों को अस्थिर और मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बचत बैंक खाते (10 प्रतिशत) और चालू बैंक (15 प्रतिशत) खाते सामान्य रूप से मांग पर देय हैं। इस हिस्से को अस्थिर माना जा सकता है। जहां अस्थिर भाग 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिन के समय बकेट में रखा जा सकता है, वहीं अनुभव और बैंकों के अनुमानों के आधार पर मुख्य भाग को 1-3 साल से अधिक के बकेट में रखा जा सकता है । बचत बैंक खाते और चालू बैंक खाते के जमाओं का यह वर्गीकरण केवल एक बेंचमार्क है। जो बैंक पिछले आंकड़ों/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर व्यवहार पैटर्न, रोल-इन और रोल-आउट, एम्बेडेड विकल्प आदि का अनुमान लगाने के लिए अधिक जानकार हैं, वे उचित बकेट में अर्थात अनुबंध परिपक्वता के बजाय व्यवहार परिपक्वता, बोर्ड/एएल्को के अनुमोदन के अधीन, वर्गीकृत कर सकते हैं।

i) वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, एलएबी और पीबी को छोड़कर) नीचे दिए गए प्रारूप में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए अपने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के बारे में जानकारी का प्रकटन करेंगे:

(राशि ₹ करोड़ में)

		को समाप्त तिमाही (इसी प्रकार प्रत्येक चार तिमाहियों के लिए कॉलम होंगे)	
		कुल गैर-भारित[1] मूल्य (औसत)	**कुल भारित [2] मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		
नकद बहिर्वाह			
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से:		
i)	स्थिर जमा		
ii)	कम स्थिर जमा		
3	गैर जमानती थोक जमा, जिनमें से:		
i)	परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकारों को)		
ii)	गैर-परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकारों को)		
iii)	गैर जमानती ऋण		
4	जमानती थोक फंडिंग		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से		
i)	डरिविटिव एक्सपोजर और अन्य जमानत आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह		
ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		
iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व		
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		
नकद अंतर्प्रवाह			
9	जमानती ऋण (उदाहरण के लिए रिवर्स रेपो)		
10	अर्जक एक्सपोजर से प्रवाह		
11	अन्य नकदी प्रवाह		
12	**कुल नकद प्रवाह**		
			कुल समायोजित[3] मूल्य
13	**कुल एचक्यूएलए**		
14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		

1. गैर भारित मूल्यों की गणना *30* दिनों के भीतर परिपक्व या मांग वाली बकाया राशि के रूप में की जाएगी (अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के लिए), सिवाय इसके कि परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयर कट (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों (अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के लिए) के लागू किए जाने के बाद की जाएगी।
3. समायोजित मूल्यों की गणना दोनों (*i*) हेयर कट तथा अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों एवं (*ii*) किसी भी लागू सीमा (अर्थात लेवल 2बी और एचक्यूएलए के लिए लेवल 2 आस्तियों के लिए सीमा तथा अंतर्प्रवाह पर सीमा) के लागू किए जाने के बाद की जाएगी।

आंकड़े को पिछली तिमाही में दैनिक गणना के साधारण औसत के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि में की जाती है)। बैंकों को टेम्पलेट में औसत आंकड़ों की गणना में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़ा बिन्दुओं की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए । साधारण औसत की गणना पिछली तिमाहियों में दैनिक गणना के आधार पर की जाएगी। अधिकांश आंकड़ा मदों के लिए, एलसीआर घटकों के गैर-भारित और भारित दोनों मूल्यों को प्रकटीकरण प्रारूप में दिए गए रूप में बताया जाएगा। अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह के गैर-भारित मूल्य की गणना विभिन्न श्रेणियों या देयताओं के प्रकार, तुलन पत्र मदों या संविदात्मक प्राप्तियों के बकाया शेष के रूप में की जाएगी । एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना हेयर कट लागू किए जाने के बाद मूल्य के रूप में की जाएगी। अंतर्प्रवाह तथा बहिर्वाह के लिए भारित मूल्य की गणना अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह दरों के लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाएगी। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह समायोजित मूल्य के रूप में प्रकटित किया जाएगा, जहां एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य हेयर कट और लेवल 2 बी तथा लेवल 2 आस्तियों पर किसी भी लागू सीमा जैसा कि इस फ्रेमवर्क में दर्शाया गया है, दोनों के लागू होने के बाद कुल एचक्यूएलए का मूल्य है । यदि लागू हो तो अंतर्प्रवाह पर सीमा लागू होने के बाद निवल नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना की जानी है।

ii) *बैंक एलसीआर पर पर्याप्त गुणात्मक चर्चा*[10] *करेंगे ताकि उन्हें परिणामों और प्रदत्त आंकड़ों की समझ को सुगम बनाया जा सके ।*

सी) निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर)[11]

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)

---

[10] उदाहरण के लिए, जहां एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ बैंक चर्चा कर सकते हैं:

a) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य वाहकों और समय के साथ एलसीआर की गणना में इनपुट के योगदान का विकास ;
b) अंतर अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन;
c) एचक्यूएलए की संरचना;
d) वित्तपोषण स्रोतों का संकेन्द्रण;
e) डरिविटिव एक्सपोजर और संभावित जमानत मांग;
f) एलसीआर में मुद्रा असंतुलन;
g) चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रण की मात्रा और समूह की इकाइयों के बीच लेनदेन का विवरण; तथा एलसीआर गणना में अन्य अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह जो एलसीआर कॉमन टेम्पलेट में उजागर नहीं किए जाते हैं लेकिन जिसे संस्था अपनी चलनिधि प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानती है ।

[11] ये एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि से प्रभावी होंगे

i) एनएसएफआर पर दिशानिर्देश प्रभावी होने के बाद, वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी, एएलबी और पीबीएस को छोड़कर) को नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार अपने एनएसएफआर प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी।

ii) बैंक इस प्रकटीकरण को अपने वित्तीय विवरणों/परिणामों (अर्थात सामान्य रूप से त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक) के प्रकाशन के साथ प्रकाशित करेंगे, चाहे वित्तीय विवरण/परिणामों का लेखा-परीक्षा हुआ हो अथवा नहीं । एनएसएफआर विवरण की गणना समेकित आधार पर की जाएगी और इसे भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जाएगा।

iii) बैंक या तो इन एनएसएफआर प्रकटीकरण को अपनी प्रकाशित वित्तीय रिपोर्टों में शामिल करेंगे या कम से कम अपनी वेबसाइटों पर या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नियामक रिपोर्टों में पूर्ण प्रकटीकरण के लिए एक प्रत्यक्ष और प्रमुख लिंक प्रदान करेंगे ।

iv) आंकड़े तिमाही के अंत में विवरणी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। अर्ध-वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करने वाले बैंकों को एनएसएफआर को पूर्ववर्ती प्रत्येक दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग करने वाले बैंकों के लिए, एनएसएफआर को पूर्ववर्ती चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एनएसएफआर मदों के गैर-भारित और भारित दोनों मूल्यों का प्रकटन तब तक किया जाएगा जब तक कि अन्यथा इंगित न किया जाए। भारित मूल्यों की गणना उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) या आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) कारकों के लागू होने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।

v) बैंक, नीचे निर्धारित टेम्पलेट के अलावा, परिणामों और संबन्धित आंकड़ों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएसएफआर पर पर्याप्त गुणात्मक चर्चा[12] करेंगे।

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		**अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य**				**भारित मूल्य**
		कोई परिपक्वता नहीं*	**< 6 माह**	**6 माह से < 1वर्ष**	**≥ 1 वर्षr**	
एएसएफ मद						
1	पूंजी: (2+3)					
2	विनियामकीय पूंजी					
3	अन्य पूंजीगत लिखत					
4	छोटे व्यापार ग्राहकों से खुदरा जमाएं और जमाएं: (5+6)					
5	स्थिर जमाएं					
6	न्यून स्थिर जमाएं					
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)					
8	परिचालन जमाएं					

[12] उदाहरण के लिए, जहां एनएसएफआर के लिए महत्वपूर्ण, बैंक अपने एनएसएफआर परिणामों के संवाहकों और अंतर-अवधि में परिवर्तन के कारणों के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन (जैसे रणनीतियों में परिवर्तन, वित्तपोषण संरचना, परिस्थितियों आदि) पर चर्चा कर सकते हैं।

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1वर्ष	≥ 1 वर्षr	भारित मूल्य
9	अन्य थोक वित्त पोषण					
10	अन्य देनदारियां: (11+12)					
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां					
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं					
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					
आरएसएफ मद						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा जमाएं					
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)					
17	स्तर 1 द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण					
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के अप्रतिभूत अर्जक ऋण					
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के अर्जक ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिकों, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:					
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ					
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:					
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ					
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी समेत एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं					

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
(रुपये करोड़ में)		**अवशिष्ट परिपक्कता द्वारा भाररहित मूल्य**				**भारित मूल्य**
		कोई परिपक्कता नहीं*	**< 6 माह**	**6 माह से < 1वर्ष**	**≥ 1 वर्षr**	
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 का जोड़) अन्य आस्तियां: (25 से 29 की राशि)					
25	सोना समेत भौतिक व्यापारिक वस्तुएं					
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट निधि में योगदान के रूप में प्रदान की गई आस्तियां					
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां					
28	परिवर्तन मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां प्रदान की गईं					
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गईं सभी अन्य आस्तियां					
30	ऑफ-बैलेंस शीट मद					
31	**कुल आरएसएफ**					
32	**निवल स्थिर निधि अनुपात (%)**					

***** 'अपरिपक्क' समय बकेट में रिपोर्ट की जाने वाली मदों में एक निश्चित परिपक्कता नहीं है। इनमें सतत परिपक्कता, गैर परिपक्कता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्कता स्थिति, गैर- एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक रूप में व्यापार की जाने वाली वस्तुएं जैसे मद शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इतनी ही सीमित नहीं हैं।

3. निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(i) (वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू-आरआरबी को छोड़कर)[13]

(*सभी राशि ₹ करोड़ में)*

	मौजूदा वर्ष							पूर्व वर्ष						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		एचटीएम		एएसएफ	एफवीटीपीएल		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	
	लागत	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर एचएफटी	लागत	उचित मूल्य	लागत	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर एचएफटी	लागत	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ														
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ														
(iii) शेयर														
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड														
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(vi) अन्य														
कुल														
घटाएँ: ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान														
निवल														
II. भारत से बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारों सहित)														
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(iii) अन्य निवेश														

[13] यह प्रकटीकरण आवश्यकता 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी।

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

	मौजूदा वर्ष							**पूर्व वर्ष**						
	एचटीएम		**एएफएस**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		**एचटीएम**		**एएसएफ**	**एफवीटीपीएल**		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	
	लागत	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**	**लागत**	**उचित मूल्य**		**एचएफटी**	**गैर एचएफटी**	**लागत**	**उचित मूल्य**
कुल														
घटाएँ: ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान														
निवल														
कुल निवेश (I+II)														

(ii) वाणिज्यिक बैंकों[14] और यूसीबी के लिए लागू

तारीख को ... (चालू वर्ष की तुलन पत्र की तारीख)

(₹....करोड़ में)

	भारत में निवेश							**भारत से बाहर निवेश**				**कुल निवेश**
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	**अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां**	**शेयर**	**डिबेन्चर और बॉन्ड**	**सहायक और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत में कुल निवेश**	**सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)**	**सहायक और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत से बाहर कुल निवेश**	
धारित परिपक्वता												
सकल												
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई)												
निवल												

[14] 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) पर लागू।

बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
ट्रेडिंग के लिए धारित												
निवल												
घटाएं: मल्यह्रास और एनपीआई के												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												
घटाएं: मल्यह्रास और एनपीआई के												
निवल												

तारीख को ... (पिछले वर्ष की तुलन पत्र की तारीख)

(₹.... करोड़ में)

	भारत में निवेश							**भारत से बाहर निवेश**				**कुल निवेश**
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	**अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां**	**शेयर**	**डिबेन्चर और बॉन्ड**	**सहायक और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत में कुल निवेश**	**सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)**	**सहायक और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत से बाहर कुल निवेश**	
धारित परिपक्वता												
सकल												
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												

बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
ट्रेडिंग के लिए धारित												
निवल												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

(iii) आरसीबी के लिए लागू

(₹.... करोड़ में)

	चालू वर्ष में निवेश						पिछले वर्ष में निवेश					
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	पीएसयू के बांड	अन्य	कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	पीएसयू के बांड	अन्य	कुल निवेश
स्थायी												
सकल												

घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
Current												
सकल												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान												
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

बी) तुलनपत्र पर उचित मूल्य पर मापा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू-आरआरबी को छोड़कर)[15]

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

	मौजूदा वर्ष								पूर्व वर्ष							
	एएफएस				एफवीटीपीएल				एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ																
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ																
(iii) शेयर																
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड																
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(vi) अन्य																
कुल																
II. भारत से बाहर निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारों सहित)																
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(iii) अन्य निवेश																
कुल																
कुल निवेश (I+II)																

[15] यह प्रकटीकरण आवश्यकता 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी।

सी) एएफएस-रिज़र्व और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3[16] वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)

(वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू-आरआरबी को छोड़कर)[17]

	मौजूदा वर्ष	**पूर्व वर्ष**
एएफएस-रिजर्व में मान्यता प्राप्त		
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त		

डी) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण

(वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू-आरआरबी को छोड़कर)[18]

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

		मौजूदा वर्ष	**पूर्व वर्ष**
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य		
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य		
सी	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट वाली स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के वहन मूल्य		
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी)		
ई	एचटीएम में प्रतिभूतियों के आरंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां (ई=डी÷ए)		

[16] स्तर 3 आस्तियों को छोडकर जहां आस्ति का मूल्यांकन उस आस्ति के लिए एफ़बीआईएल/एफ़आईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य होता है।

[17] यह प्रकटीकरण आवश्यकता 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी।

[18] यह प्रकटीकरण आवश्यकता 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी।

		मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
	एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित राशि जो लाभ पर बेची गई थी		

ई) मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

(₹....करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
क) प्रारम्भिक शेष		
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते/राइट बैक में डालना		
घ) अंतिम शेष		
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
क) प्रारम्भिक शेष		
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि		
ग) घटाएं: ड्राडाउन		
घ) अंतिम शेष		
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश[19] के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष		

एफ) एचटीएम श्रेणी/ स्थायी श्रेणी[20] से/को बिक्री और अंतरण

जहां एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है, बैंक एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटीकरण करेंगे। बाजार मूल्य से अधिक बही मूल्य, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, का भी प्रकटीकरण किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में शामिल नहीं होगा:

i) लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा किए गए निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों का एकमुश्त अंतरण।

ii) आरबीआई द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में गिरावट के परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता को कम करने के लिए एचटीएम से सीधी बिक्री।

iii) आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन संचालन जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और सरकारी सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम (जीएसएपी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री।

iv) बायबैक/स्विच संचालन के तहत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

v) बायबैक/स्विच संचालन के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण।

---

[19] वहन मूल्य में निवल मूल्यह्रास घटाकर (निवल मूल्यवृद्धि को शामिल न करते हुए) अर्थात तुलन -पत्र में परिलक्षित निवल राशि

[20] आरसीबी अपने निवेश की स्थायी श्रेणी से बिक्री/हस्तांतरण के लिए प्रकटीकरण करेंगे।

जी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(*राशि ₹ करोड़ में*)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क)	प्रारम्भिक शेष		
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि		
ग)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती		
घ)	अंतिम शेष		
ङ.)	कुल धारित प्रावधान		

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(*राशि ₹ करोड़ में*)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूति मात्रा		'रेट न की गई ' प्रतिभूति मात्रा		'असूचीबद्ध' की प्रतिभूति मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
क)	पीएसयू										
ख)	एफ़आई										
ग)	बैंक										
घ)	निजी कॉर्पोरेट										
ङ.)	सहायक/संयुक्त उद्यम										
च)	अन्य										
छ)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान										
	कुल *										

नोट:

1. *वाणिज्यिक बैंकों के लिए, कॉलम 3 के तहत कुल, तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल कुल निवेश के योग से मेल खाना चाहिए:

   क) भारत में निवेश
      i) शेयर
      ii) डिबेंचर और बांड
      iii) सहायक और/या संयुक्त उद्यम
      iv) अन्य

   ख) भारत के बाहर निवेश (जहां लागू हो)
      i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)
      ii) विदेशों में सहायक और/या संयुक्त उद्यम
      iii) अन्य निवेश
2. * सहकारी बैंकों के लिए, कुल राशि बैंक द्वारा धारित गैर-एसएलआर निवेशों के योग से मेल खाएगी।
3. उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।

एच) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाज़ार मूल्य के संदर्भ में)[21]

(राशि ₹करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च को बकाया	
	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य	अंकित मूल्य	बाज़ार मूल्य
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतिय								
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां								

आई) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के संदर्भ में)[22]

तारीख को ... (चालू वर्ष की तुलन पत्र की तारीख)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कु ल मात	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां					

[21] प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्दिष्ट होगा। संदर्भ में आसानी के लिए इस मास्टर निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्प्लेट यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

[22] प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) दिशानिर्देश, 2023 में निर्दिष्ट होगा। संदर्भ में आसानी के लिए इस मास्टर निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्प्लेट यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कु ल मात	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां					

तारीख को ... (पिछले वर्ष की तुलन पत्र की तारीख)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कु ल मात	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां					

4. आस्ति की गुणवत्ता

ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण[23]

	अर्जक	अनर्जक				कुल
	कुल अर्जक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन						
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*						
अंतिम शेष						
*सकल एनपीए में कटौती के कारण:						
i) उन्नयन						
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)						
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण[24] बट्टे खाते						
iv) ऊपर (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते						
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान						
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान वापस /बट्टे खाते में डाले गए ऋण						
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष						
निवल एनपीए[25]						

[23] अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए |

[24] तकनीकी या विवेकपूर्ण राइट-ऑफ अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखाओं की पुस्तकों में बकाया हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूरी तरह या आंशिक रूप से) बट्टे खाते में डाले गए हैं। तकनीकी बट्टे खाते में डालने की राशि को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर हमारे परिपत्र संदर्भ बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2009-10 दिनांक 1 दिसंबर 2009 में परिभाषित)

[25] इस सीमा तक कि अस्थायी प्रावधानों को टियर 2 पूंजी के लिए नहीं माना गया है, शुद्ध एनपीए पर पहुंचने के लिए उन्हें सकल एनपीए से घटाया जा सकता है।

	अर्जक	अनर्जक				कुल
	कुल अर्जक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन						
कम: वर्ष के दौरान कटौती						
अंतिम शेष						
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि[26]						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बट्टे खाते और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खातों का प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते						
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली						
अंतिम शेष						

अनुपात[27] (प्रतिशत में)	**चालू वर्ष**	**विविगत वर्ष**
सकल एनपीए अनुपात सकल अग्रिम		
निवल एनपीए अनुपात निवल अग्रिम		
प्रावधान कवरेज अनुपात		

[26] ड्राडाउन के औचित्य को तालिका के नीचे एक नोट के माध्यम से समझाया जा सकता है।

[27] लागू विनियामक अनुदेशों के अनुसार गणना की जानी है।

बी) क्षेत्रवार अग्रिम एवं सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

Sr. No.	क्षेत्र *	चालू वर्ष			विविगत वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए का प्रतिशत**	**बकाया कुल अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए का प्रतिशत**
i)	**प्राथमिक क्षेत्र**[28]						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ						
ख)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम						
ग)	सेवाएं						
घ)	वैयक्तिक ऋण						
	उप कुल (i)						
ii)	**गैर-प्राथमिकता क्षेत्र**						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ						
ख)	उद्योग						
ग)	सेवाएं						
घ)	वैयक्तिक ऋण						
	उप कुल (ii)						
	कुल (I + ii)						

* बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी प्रकटीकरण करेंगे जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वह 'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में खनन के लिए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण अलग से प्रकट करेगा।

[28] आरसीबी को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बीच अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

सी) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व[29]

(राशि ₹ करोड़)

विवरण	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
कुल आस्ति		
अन्य एनपीए		
कुल राजस्व		

डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

i) *समाधान योजना का विवरण*

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और सहकारी बैंको पर लागू नहीं)

7 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के तहत जारी 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' के दायरे में आने वाले बैंक द्वारा लागू समाधान योजनाओं से संबंधित अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करेंगे। संदर्भित परिपत्र के पैराग्राफ 30 के अनुसार, पुनर्रचना प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर पर विनियामकीय उच्चतम सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। हालांकि, इसका ब्योरा बैंकों द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

[29] यदि किसी बैंक के पास चालू और पिछले दोनों वर्षों में कोई विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व नहीं है, तो वह इस प्रकटीकरण को छोड़ सकता है।

ii) *पुनर्रचना[30] के अधीन खातों का विवरण*

(एलएबी, आरआरबी और सहकारी बैंको पर लागू)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		कॉर्पोरेट्स (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई))		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष	चालू वर्ष	विविगत वर्ष
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)										
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)										

एलएबी, आरआरबी और सहकारी बैंको अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्र में उन खातों की राशि और संख्या का प्रकटीकरण करेंगे जिनके संबंध में पुनर्गठन के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन पुनर्गठन पैकेज अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

(आरआरबी और आरसीबी पर लागू नहीं)

यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो बैंक[31] नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे:

i. अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ[32] के 5 प्रतिशत से अधिक है, और

ii. अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए [33] वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

---

[30] लागू विनियमों के अनुसार परिभाषित पुनर्रचना।

[31] शहरी सहकारी बैंक 31 मार्च, 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करेंगे ।

[32] इस सीमा को निर्धारित करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को (ए) कर व्यय, और (बी) मानक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (उनके लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त) के प्रावधानों को वर्ष के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा जाना चाहिए।

[33] रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए संदर्भ वर्ष के दौरान सकल एनपीए में वृद्धि को संदर्भित करता है जैसा कि संदर्भ अवधि के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

बशर्ते कि शहरी सहकारी बैंकों के मामले में वृद्धिशील सकल एनपीए की सीमा 15 प्रतिशत होगी, जिसे समीक्षा के बाद चरणबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को सकल एनपीए	
2.	31 मार्च, 20XX को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित सकल एनपीए	
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को निवल एनपीए	
5.	31 मार्च, 20XX को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित निवल एनपीए	
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	
10	प्रकाशित लाभ 31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले	
11.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	
12.	31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	

* 31 मार्च, 20XX संदर्भ अवधि की समाप्ति है, जिसके संबंध में विचलन का मूल्यांकन किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को इस तरह के विचलन की सूचना के तुरंत बाद प्रकाशित होने वाले आगामी वार्षिक वित्तीय विवरणों में उपरोक्त के रूप में प्रकटीकरण को 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाएगा।

एफ) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण[34]

ऋणदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखांकन की टिप्पणी' के अंतर्गत, ऋण की कुल राशि के संबंध में, जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है / दबावग्रस्त ऋणों की कुल राशि जो अन्य संस्थाओं से/ को हस्तांतरित या अर्जित की गई है, से संबंधित प्रकटीकरण करना चाहिए, जैसा कि नीचे निर्धारित है, ऐसा प्रकटीकरण त्रैमासिक आधार पर 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाले तिमाही से प्रारंभ करना चाहिए:

(i) उन ऋणों के संबंध में जो डिफॉल्ट रूप से हस्तांतरित या अर्जित नहीं किए गए हैं, प्रकटीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ, भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारण अवधि, लाभकारी आर्थिक हित की अवधारण, वास्तविक सुरक्षा कवरेज, और रेटिंग-रेटेड ऋणों का वितरण जैसे पहलू शामिल होने चाहिए। विशेष रूप से, एक अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का खुलासा करना चाहिए जहां वह अंतरिती (ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान करने

[34] ये प्रकटीकरण मूल रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 में निर्दिष्ट हैं और संदर्भ की आसानी के लिए यहां केवल पुन: प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 के बीच किसी भी विरोध के मामले में, बाद वाला मान्य होगा। अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले दोनों वर्षों के आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

के लिए सहमत हो गया है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नवीनीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण या अधिग्रहण के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान स्थानांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	ARCs को	अनुमत स्थानान्तरितियों के लिए	अन्य स्थानान्तरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या			
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन			
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)			
कुल प्रतिफल			
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली			

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण		
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी द्वारा	ARCs द्वारा
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया		
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

अंतरणकर्ता (ओं) को दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में भी उचित प्रकटीकरण करना चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दिए गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा रखे गए एसआर के वितरण का खुलासा करना चाहिए।

जी) धोखाधड़ी खाते

बैंक नीचे दिए गए टेम्प्लेट के अनुसार धोखाधड़ी मामलों की संख्या और राशि के साथ-साथ उस पर प्रावधान का प्रकटीकरण करेंगे

	चालू वर्ष	**विविगत वर्ष**
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या		
धोखाधड़ी प्रकरणों में शामिल राशि (₹ करोड़)		
ऐसी धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		
वर्ष के अंत में 'अन्य रिज़र्व' से डेबिट किए गए गैर-परिशोधित प्रावधान की राशि। (₹करोड़)		

जीए) भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निर्देश, 2025 के अंतर्गत प्रकटीकरण (पीबी, एलएबी, आरआरबी और आरसीबी पर लागू नहीं)

ऋणदाता को अपने वित्तीय विवरणों में, "लेखांकन की टिप्पणी' के अंतर्गत, कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित उचित प्रकटीकरण करना होगा। प्रकटीकरण का प्रारूप नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (करोड़ रुपये में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं खाते।		
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं खाते।		
3	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं खाते जिनमे तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है		
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं खाते। (1+2-3)		
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
5.3	'5' में से – वे ख़ाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		
6	'5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू की गई है।		
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि, जैसा भी मामला हो, वित्तपोषित की गई थी		
7.1	'7' में से वे खाते जहां एसबीसीएफ को वित्तीय समापन के दौरान मंजूरी दी गई थी और लगातार नवीनीकृत किया गया था		
7.2	'7' में से वे खाते जिनमें एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत नहीं किया गया था या जिनका लगातार नवीनीकरण नहीं किया गया था		

8	‘4’ में से - वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार को शामिल न करते हुए समाधान प्रक्रिया लागू की गई है।		
8.1	‘8’ में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
8.2	‘8’ में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
8.3	‘8’ में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		

एच) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

विवेकपूर्ण ढांचे के तहत एक विशेष सुविधा को दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के माध्यम से विस्तारित किया गया था ताकि ऋणदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋण के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में, ऐसे एक्सपोजर को अर्जक ऋण के रूप में वर्गीकृत करते के लिए सक्षम बनाया जा सके। बैंक प्रत्येक छमाही[35] में नीचे निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे, अर्थात 30 सितंबर और 31 मार्च को, वित्तीय विवरणों में 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से शुरू होने वाले सभी एक्सपोजर, जिस पर समाधान योजना लागू की गई थी, वह या तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है या पूरी तरह से एनपीए में चला गया है, जो भी पहले हो, तब तक।

30 सितंबर 2021 से अर्धवार्षिक किए जाने वाले प्रकटीकरण का प्रारूप

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- पिछले छमाही (क) के अंत में स्थिति**	**(क) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया**	**(क) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि**	**(क) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि**	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस आधे साल के अंत**
व्यक्तिगत ऋण					
कॉर्पोरेट व्यक्ति*					
जिनमें से एमएसएमई					
अन्य					
कुल					

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, *2016* की धारा *3(7)* में परिभाषित किया गया है

[35] जिन बैंकों को लिस्टिंग आवश्यकताओं या अन्यथा तिमाही/छमाही विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, वे वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूरे वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे।

5. एक्सपोजर

ए) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर ए) आवासीय बंधक - आवासीय आस्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर दिया गया है, के लिए ऋण। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। बी) वाणिज्यिक रियल स्टेट - वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापार स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी; सी) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश i. आवासीय ii. व्यावसायिक रियल स्टेट - *ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर* नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर।		
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		

बी) पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण [36]	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;		

[36] आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंक उन लाइन आइटम को छोड़ सकते हैं जो लागू/अनुमति नहीं हैं या चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर हैं|

विवरण [36]	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ii) शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर, और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;		
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है		
iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा निधि अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;		
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के एवज में या स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण;		
vii) कंपनियों को अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के लिए ब्रिज ऋण;		
viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण;		
x) वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए, मौजूदा नियमों के अधीन, ऋणदाताओं को उनके नुकसान/ त्याग (शुद्ध वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से मौजूदा विनियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है। यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, तो इसका प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाएगा। बैंक एक कार्यनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने के विवरण को अलग से प्रकट करेंगे, जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है।

सी) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर[37]

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी*	मार्च में एक्सपोजर (निवल) (चालू वर्ष)	(चालू वर्ष) मार्च में धारित प्रावधान.	(पिछले वर्ष) मार्च में एक्सपोजर (निवल)	(पिछले वर्ष) मार्च के अनुसार प्रावधान...
अमहत्वपूर्ण				
न्यून				
सामान्य रूप में कम				
सामान्य				
सामान्य रूप से उच्च				
उच्च				
अधिक उच्च				
कुल				

** जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग सिस्टम में नहीं चले जाते हैं, तब तक बैंक सात-श्रेणी के वर्गीकरण का उपयोग करेंगे, जिसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) का वर्गीकरण और देश जोखिम के लिए प्रावधान करना होगा। ईसीजीसी बैंकों के अनुरोध पर, उनके देश के वर्गीकरण के त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेगा।*

डी) गैर- प्रतिभूत अग्रिम

बैंक अग्रिमों की कुल राशि का प्रकटीकरण करेंगे जिसके लिए अवास्तविक प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही इस तरह के अवास्तविक संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य को निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रकट करेंगे।

[37] यदि किसी बैंक का चालू और पिछले दोनों वर्षों में देश जोखिम में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वह यह उल्लेख करते हुए तालिका के प्रकटीकरण को छोड़ सकता है कि उसका देश जोखिम के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम		
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अवास्तविक प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है		
ऐसी अवास्तविक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

ई) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर

फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर अलग से प्रकट किया जाएगा।

एफ) अंतर - समूह एक्सपोजर *(सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)*

वाणिज्यिक बैंक पिछले वर्ष की तुलना के साथ चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगे:

i) अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि

ii) शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि

iii) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के संबंध में अंतर - समूह एक्सपोजर का प्रतिशत

iv) अंतर - समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो, ।

जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर *(आरसीबी पर लागू नहीं)*

मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक अपनी नीतियों का प्रकटीकरण करेंगे। वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, एलएबी और पीबी को छोड़कर) इस जोखिम के लिए उनके द्वारा धारित वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी का भी प्रकटीकरण करेंगे।

एच) *आरसीबी के एक्सपोजर*

आरसीबी नीचे निर्दिष्ट टेम्पलेट के अनुसार अपने एक्सपोजर का विवरण प्रकट करेंगे:

(i) राज्य सहकारी बैंक

क्र.	एक्सपोज़र इससे	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)	सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)
1.	केंद्रीय सहकारी बैंक						
2.	अपैक्स सॉईटीएस						
3.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस)- ओन लेंडिंग						

क्र.	एक्सपोज़र इससे	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)	सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)
4.	पीएसीएस - अन्य एक्सपोज़र						
5.	अन्य क्रेडिट समितियां						
6.	अन्य नॉन क्रेडिट सहकारी समितियां						
7.	कंपनियां						
8.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						

(ii) केंद्रीय सहकारी बैंक

क्र.	एक्सपोज़र इससे	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)	सकल एक्सपोजर (₹ करोड़)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल एनपीए (₹ करोड़)
1.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस)- ओन लेंडिंग						
2.	पीएसीएस - अन्य एक्सपोज़र						
3.	अन्य क्रेडिट समितियां						
4.	अन्य नॉन क्रेडिट सहकारी समितियां						
5.	कंपनियां						
6.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						

5ए. *स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक के बदले ऋण*[37ए] (*पीबी पर लागू नहीं*)

ए) पात्र स्वर्ण एवं चांदी संपार्श्विक के विरुद्ध दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट आकार	औसत[37बी] एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋण के %			

[37ए] सोना संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण और चांदी संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण के लिए सूचना का खुलासा अलग-अलग किया जा सकता है।

[37बी] इसकी गणना स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी के योग और ऐसे ऋणों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में की जा सकती है।

		के रूप में	(₹ करोड़)		
1. **वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष** (क)+(ख)					
(क) उपभोग ऋण					
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण					
(ख) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					
2. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित नये ऋण** (ग)+(घ)					लागू नहीं
(ग) उपभोग ऋण					लागू नहीं
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण					लागू नहीं
(घ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					लागू नहीं
3. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित नवीकरण**					लागू नहीं
4. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित टॉप-अप ऋण**					लागू नहीं
5. **वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण** (ङ)+(च)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(च) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
6. **वित्त वर्ष के दौरान वसूले गए गैर-निष्पादित ऋण** (छ) + (ज)				लागू नहीं	लागू नहीं
(छ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(ज) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
7. **वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण** (झ) + (ञ)				लागू नहीं	लागू नहीं
(झ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(ञ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
8. **वित्तीय वर्ष के अंत में समापन शेष** (ट) + (ठ)					
(ट) उपभोग ऋण					
उसमें एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण					
(ठ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					

बी – स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक और नीलामी का विवरण

क्र. सं.	**विवरण**[37सी]	

[37सी] संपार्श्विक का भार और मूल्य रिज़र्व बैंक (स्वर्ण और चाँदी संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण) निर्देश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के अनुच्छेद 17 और 18 के अनुसार गणना की जाएगी।

क)	वित्तीय वर्ष के अंत में दावारहित[37डी] स्वर्ण या चांदी का संपार्श्विक (ग्राम में)	
बी)	ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई	
ग)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया	
घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	
ङ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	
च)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (करोड़ रुपये में)	
छ)	वसूली प्रतिशत :	
ज)	स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	
झ)	बकाया ऋण के % के रूप में	

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

ए) जमाओं का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि		
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत		

*बी) अग्रिमों का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम		
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत		

* अग्रिम की गणना क्रेडिट एक्सपोजर यानी डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित वित्त पोषित और गैर-निधि सीमाएं, जहां लागू हो, के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। हालांकि, पूरी तरह से आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में मान सकते हैं।

*सी) एक्सपोजर का संकेंद्रण***

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत		

[37डी] जैसा कि रिज़र्व बैंक (स्वर्ण और चाँदी संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण) निर्देश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

** एक्सपोज़र की गणना लागू आरबीआई विनियमन के अनुसार की जाएगी।

डी) एनपीए का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर		
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत।		

7. डेरिवेटिव[38]

ए) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का ब्यौरा[39]

(*वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू-आरआरबी को छोड़कर)*

(सभी राशि ₹ करोड़ में)

	मौजूदा वर्ष			पूर्व वर्ष		
	स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
ब्याज दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
विनिमय दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
क्रेडिट जोखिम डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें)						
एमटीएम – आस्ति						
एमटीएम – देयताएं						

[38] आरआरबी, एलएबी, पीबी और सहकारी बैंक जिन्होंने चालू और पिछले दोनों वर्षों में किसी भी डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, वे इन प्रकटीकरणों को छोड़ सकते हैं और इसके बजाय यह प्रकटीकरण कर सकते हैं कि उन्होंने वर्तमान और पिछले वर्षों में डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है।
[39] यह प्रकटीकरण आवश्यकता 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी।

	मौजूदा वर्ष			पूर्व वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि						

बी) वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन ii) यदि प्रतिपक्षकार समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियां iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv) स्वैप[40] से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की संकेंद्रता v) स्वैप बुक[41] का उचित मूल्य		

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम पर जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल हैं, का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

सी) एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)		
ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)		
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का मार्क टू मार्केट वैल्यू बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		

[40] संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए एक्सपोजर हो सकते हैं, या अत्यधिक मूल्यवान कंपनियों के साथ स्वैप हो सकते हैं।

[41] यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बैंक को स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए भुगतान करनी पड़ेगी या प्राप्त होगी । एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका मार्क टू मार्केट मूल्य होगा।

डी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को विशेष संदर्भ में प्रकट करेंगे कि किस सीमा तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। प्रकटीकरण में यह भी शामिल होगा:

क) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

ख) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति,

ग) बचाव और / या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और बचाव /प्रतिरक्षक की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं, और

घ) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(*राशि ₹ करोड़ में*)

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		करेंसी डेरिवेटिव्स	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**	**करेंसी डेरिवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**
ए)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	i) हेजिंग के लिए				
	ii) ट्रेडिंग के लिए				
बी)	मार्क टू मार्केट के लिए चिह्नित [1]				
	i) आस्ति (+)				
	ii) देयता (-)				
सी)	ऋण एक्सपोजर [2]				
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)				
	i) डेरिवेटिव्स हेजिंग पर				
	ii) डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर				
ई)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 देखा गया				
	i) हेजिंग पर				
	ii) ट्रेडिंग पर				

1. *प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो आस्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी।*
2. *बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि अपना सकते हैं।*

ई) क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप

सीडीएस पोजिशन का मूल्यन करने के लिए अपने मालिकाना मॉडल का प्रयोग करने रहे मार्केट मेकर्स मूल्यांकन का प्रकटीकरण मालिकाना मॉडल के अनुसार करेंगे, और अपने वित्तीय विवरणों में लेखे-जोखे संबंधी टिप्पणियों में इस मॉडल का प्रयोग करने के औचित्य और मूल्यांकन पद्धति के स्पष्टीकरण का भी उल्लेख करेंगे। इस प्रकटीकरण में फिमडा[42] द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या फिमडा द्वारा संस्तुत किसी बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन को भी शामिल किया जाएगा।

[42] एक बार फिमडा द्वारा सीडीएस वक्र का प्रकाशन आरंभ कर देने के बाद या मूल्यांकन बेंचमार्क की संस्तुति कर देने के बाद ही फिमडा द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या फिमडा द्वारा संस्तुत बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरण करने की अपेक्षा प्रभावी होगी।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण[43]

(आरआरबी को छोड़कर सभी एससीबी, एसएफबी पर लागू)

वार्षिक लेखांकन की टिप्पणियों में, प्रवर्तकों को विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की पुस्तकों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तुलन पत्र की दिनांक के अनुसार प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि की सूचना देना चाहिए। ये आंकड़े एसपीई से प्रवर्तक द्वारा प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका[44] में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए:

(संख्या/ राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं	विवरण	मार्च 31 (चालू वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी)		
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि		
3.	तुलन पत्र की दिनांक को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि		
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	ख) तुलन पत्र का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		

[43] ये प्रकटीकरण मूल रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 में निर्दिष्ट हैं और संदर्भ की आसानी के लिए यहां केवल पुन: प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, 2021 के बीच किसी भी विरोध के मामले में, बाद वाला प्रभावी होगा|

[44] कृपया 'सरल, पारदर्शी और तुलनात्मक' (एसटीसी) और गैर- एसटीसी लेनदेन को अलग तालिका में दर्शाये|

क्रम. सं	विवरण	मार्च 31 (चालू वर्ष)	मार्च 31 (विगत वर्ष)
	ख) तुलन पत्र का एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का रूप और मात्रा (बकाया मूल्य)		
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से दर्शाये अर्थात। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (क) भुगतान किया (ख) पुनर्भुगतान प्राप्त किया (ग) बकाया राशि		
8.	पूर्व में अवलोकित किए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें|		*(पिछले 5 वर्षों की औसत डिफ़ॉल्ट दर का उल्लेख कर सकते हैं)*
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।		
10.	निवेशकों की शिकायतें (क) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (ख) शिकायतें बकाया		

9. तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

(आरआरबी, एलएबी, पीबी और सहकारी बैंक पर लागू नहीं)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**अघरेलू**

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए निधि) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष		
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि		
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष		
बैंक यहां निर्दिष्ट करेंगे कि डीईए निधि अंतरित राशि का शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताओं - अन्य वस्तुएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य 'जैसा भी मामला हो के अंतर्गत शामिल हैं।			

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

क) बैंक को ग्राहकों से और लोकपाल[45] के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्रम सं		विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.		5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा फैसलों को पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.3	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए फैसलों की संख्या (अपील किए गए फैसलों के अलावा)		
नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006)बीओ योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।				

[45] पूर्व में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार[46]

शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में% वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	चालू वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					
	विविगत वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के संबंध में) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण संबंधित बैंक की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के अंतर्गत 'लेखांकन की टिप्पणियां' में किया अजाएगा। विदेशी बैंकों के मामले में, दंड का प्रकटीकरण उसके भारतीय परिचालनों के लिए अगले तुलन पत्र में 'लेखांकन

[46] 27 जनवरी 2021 के परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 के परिशिष्ट 1 में 'बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने' पर शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार .

1. एटीएम/डेबिट कार्ड	2. क्रेडिट कार्ड	3. इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	4. खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई
5. मिस-सेलिंग/पैरा-बैंकिंग	6. वसूली एजेंट / प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	7. वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	8. ऋण और अग्रिम
9. बिना किसी पूर्व सूचना/अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क के शुल्क लगाना	10. चेक / ड्राफ्ट / बिल	11. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	12. सिक्कों का आदान-प्रदान, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को जारी करना/स्वीकार करना
13. बैंक गारंटी/साख पत्र और दस्तावेजी क्रेडिट	14. स्टाफ व्यवहार	15. शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन करना आदि	16. अन्य

की टिप्पणियों' में किया जाएगा। बैंक उल्लंघन की प्रकृति, चूक के मामलों की संख्या और लगाए गए जुर्माने की मात्रा पर उचित प्रकटीकरण करेंगे।

रिवर्स रेपो लेनदेन में चूककर्ता भागीदार को वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा के साथ-साथ चूक के उदाहरणों की संख्या पर उचित प्रकटीकरण करना होगा।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों पर लागू)

बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक तालिका या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे और पिछले और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक (लागू सीमा तक), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे:

प्रकटीकरण का प्रकार		**सूचना**
मात्रात्मक	(क)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना।
	(ख)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और संरचना और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों से संबंधित जानकारी।
	(ग)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए।
	(घ)	उन तरीकों का विवरण जिनमें बैंक प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।
	(ड.)	परिवर्तनीय पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित पर बैंक की नीति की चर्चा और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंड की चर्चा।
	(च)	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (यानी, नकद और शेयर-लिंक्ड लिखतों के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का औचित्य।

			चालू वर्ष	**विगत वर्ष**
मात्रात्मक *प्रकटीकरण* *(मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक*	(छ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक।		
निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महत्वपूर्ण	(ज)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या।		

			चालू वर्ष	विगत वर्ष
जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए)		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन-ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि। (iii) उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विच्छेद वेतन का विवरण।		
	(झ)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर लिंक्ड लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित। (ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।		
	(ञ)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का विभाजन तय और परिवर्तनशील, आस्थगित और गैर-आस्थगित दिखाने के लिए।		
	(ट)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो स्पष्ट और/या निहित समायोजन के बाद उजागर हुई है। (ii) स्पष्ट समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि। (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर निहित समायोजनों के कारण कटौती की कुल राशि।		
	(ठ)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या।		
	(ड)	(i) उन मामलों की संख्या जिनमें दुर्भावना का प्रयोग किया गया है (ii) उन मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है (iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां दुर्भावना और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।		
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	(ढ)	समग्र रूप से बैंक के लिए औसत वेतन (उप-स्टाफ को छोड़कर) और इसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन।		

निजी क्षेत्र के बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकट करेंगे।

ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक द्वारा अनुदान की तिथि पर शेयर-लिंक्ड लिखतों का उचित मूल्य होना चाहिए। इस प्रकार निकाले गए उचित मूल्य को उस लेखा अवधि से शुरू होने वाले व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

14.अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यापार अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) कार्यशील निधि[47] के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय		
ii) कार्यशील निधि[39] के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय निधि		
iii) जमा की लागत		
iv) निवल ब्याज मार्जिन[48]		
v) कार्यशील निधि[39] के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ		
vi) आस्ति पर आय (प्रतिशत)[49]		
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)[50] (₹ करोड़ में)		
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)		

बी) बैंकबीमा व्यवसाय

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और उनके द्वारा किए गए बैंकबीमा व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

सी) विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करेंगे।

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण (आरसीबी पर लागू नहीं)

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि को प्रकट किया जाएगा।

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान		
ii) एनपीए के लिए प्रावधान		
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

[47] वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

[48] शुद्ध ब्याज आय / औसत कमाई वाली संपत्ति। शुद्ध ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय

[49] आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानियों, यदि कोई हो, को छोड़कर कुल संपत्ति) के संदर्भ में होगा।

[50] प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए, अंतर-बैंक जमा को बाहर रखा जाएगा।

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)
(आरआरबी, एलएबी, सहकारी बैंकपर लागू नहीं)

बैंक इस संबंध में की गई प्रगति सहित इंड-एएस कार्यान्वयन की रणनीति का खुलासा करेंगे। ये प्रकटीकरण इंड-एएस के कार्यान्वयन तक किए जाएंगे।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान		
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया		

एच) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं का खुलासा (सहकारी बैंक के लिए लागू)

यूसीबी निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों को दी जाने वाली किसी भी निधि या गैर-निधि (गारंटी, साख पत्र, आदि) सुविधाओं का खुलासा करेंगे, जिसमें वे रुचि रखते हैं।

आई) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

(11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के अंतर्गत आने वाले बैंकों के लिए लागू)

11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता प्रदान करने के लिए बैंक निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:

i) पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की देयता को लागू लेखा मानकों के अनुसार पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए।
ii) यदि यह व्यय, वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित नहीं किया जाता है, तो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में परिशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम से कम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए।
iii) इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित प्रकटन वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाना चाहिए। 'लेखांकन की टिप्पणी'में परिशोधित व्यय की राशि का भी प्रकटन होना चाहिए। यदि परिशोधित व्यय को लाभ-हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्यता दी गई होती, तो शुद्ध लाभ क्या होता, इसका भी प्रकटन किया जाना चाहिए।

जे) बैंकों द्वारा जारी किए गए आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण

[आरआरबी को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू]

बैंकों को अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणो में `लेखे पर टिप्पणियों' के भाग के रूप में उनके द्वारा वर्ष के दौरान जारी सभी आश्वासन पत्रों का पूर्ण विवरण, उनका अनुमानित वित्तीय प्रभाव तथा उनके द्वारा अतीत में जारी तथा अभी भी बकाया आश्वासन पत्रों के अंतर्गत उनके अनुमानित संचयी वित्तीय दायित्व का प्रकटीकरण करना चाहिए।

के) हरित जमा से जुटाई गई निधि के उपयोग पर पोर्टफोलियो स्तर की जानकारी

(आरआरबी, एलएबी, भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू पर लागू नहीं)

			(राशि ₹ करोड़)
विवरण	**वर्तमान वित्तीय वर्ष**	**पिछला वित्तीय वर्ष**	**संचयी ***
कुल हरित जमा जुटाए गए (क)			
हरित जमा निधि का उपयोग **			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा			
(2) ऊर्जा दक्षता			
(3) स्वच्छ परिवहन			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन			
(5) धारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन			
(6) प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण			
(7) हरित भवन			
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का धारणीय प्रबंधन			
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण			
आबंटित कुल हरित जमा निधि (ख = 1 से 9 का योग)			
हरित जमा निधि की राशि आवंटित नहीं की गई (ग = क – ख)			
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित हरित जमा राशी के अस्थायी आबंटन का विवरण			
* इसमें संचयी राशि शामिल होगी जब से आरई ने हरित जमा की पेशकश शुरू की थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से हरित जमा जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून 2023 से 31 मार्च 2025 तक जुटाई गई और आवंटित जमा राशि का विवरण शामिल होगा। ** प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, आरई प्रत्येक उप-श्रेणी को आवंटित निधि के आधार पर उप-श्रेणियां प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आरई "नवीकरणीय ऊर्जा" के तहत उप-श्रेणियां जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि प्रदान कर सकते हैं।			

एल) 1 नवंबर, 1993 से आरआरबी में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन पर प्रकटीकरण

(सभी आरआरबी पर लागू)

जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1 नवम्बर, 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन योजना को क्रियान्वित करना अपेक्षित है, वे इस मामले में निम्नलिखित कार्यवाही कर सकते हैं:

ए) पेंशन योजना की प्रयोज्यता के कारण देयता को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पूरी तरह से मान्यता दी जाएगी।

बी) यदि 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन में संशोधन के कारण होने वाले व्यय को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित नहीं किया जाता है, तो उसे 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों तक की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें शामिल कुल पेंशन देयता का न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रति वर्ष व्यय किया जाए।

सी) इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित प्रकटन वित्तीय विवरणों के 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाना चाहिए। 'लेखांकन की टिप्पणी' में अपरिशोधित व्यय की राशि का भी प्रकटन होना चाहिए। यदि अपरिशोधित व्यय को लाभ-हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्यता दी गई होती, तो शुद्ध लाभ क्या होता, इसका भी प्रकटन 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाना चाहिए।

डी) पेंशन से संबंधित अपरिशोधित व्यय को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की टियर 1 पूंजी से कम नहीं किया जाएगा।

अनुबंध III-ए

(केवल आरसीबी के लिए लागू)

अनुबंध III में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं में से, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष से अनिवार्य हैं.

क्र.	प्रकटीकरण	एमडी के अनुबंध **III** में संबंधित खंड का संदर्भ
1.	आस्ति देयता प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न	सी.2(ए)
2.	मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन	सी.3(बी)
3.	एचटीएम श्रेणी/ स्थायी श्रेणी से/को बिक्री और अंतरण	सी.3(सी)
4.	क्षेत्रवार अग्रिम एवं सकल एनपीए	सी.4(बी)
5.	*पुनर्रचना के अधीन खातों का विवरण*	सी.4**(**डी)(**ii**)
6.	धोखाधड़ी खाते	सी.4(जी)
7.	रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर	सी.5(ए)
8.	पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर	सी.5(बी)
9.	गैर-प्रतिभूत अग्रिम	सी.5(डी)
10.	फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर	सी.5(*ई*)
11.	आरसीबी के एक्सपोजर	सी.5(*एच*)
12.	जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण	सी.6
13.	शिकायतों का प्रकटीकरण	सी.11
14.	प्रावधान और आकस्मिकताएं	सी.14(*ई*)

अनुबंध IV

समेकित वित्तीय विवरणों का प्रारूप

समेकित तुलन पत्र का प्रारूप

___________________________ की समेकित बैलेंस शीट

(यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च (वर्ष) को बैलेंस शीट

			(राशि ₹ करोड़ में)
विवरण	**अनुसूची**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
अल्पसंख्यक कल्याण	2A		
जमा राशियाँ	3		
उधार	4		
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5		
जोड़			
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियां	10		
अन्य आस्तियां	11		
समेकन पर गुडविल			
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रह के लिए बिल			

समेकित लाभ और हानि खाते का प्रारूप

_________________________ का समेकित लाभ और हानि खाता

(यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता ___

			(राशि ₹ करोड़ में)
विवरण	**अनुसूची**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. आय			
अर्जित ब्याज	13		
अन्य आय	14		
जोड़			
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15		
प्रचालन व्यय	16		
उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
कुल			
एसोसिएट्स में कमाई/हानि का हिस्सा			
अल्पसंख्यकों का ब्याज काटने से पहले के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)			
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित			
समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)			
जोड़ें: समूह के कारण समेकित लाभ/(हानि) को आगे लाया			
III. विनियोग			
वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
अन्य रिज़र्व में अंतरण			
सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
अतिशेष जो तुलन पत्र मे आगे लाया गया हैं			
जोड़			
प्रति शेयर आय [1]			

1. प्रति शेयर कमाई मूल और डाइल्यूट दोनों के लिए होगी।

अनुसूची 1 – पूंजी		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
प्राधिकृत पूंजी		
(______रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
जारी पूंजी		
(______ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
अभिदत्त पूंजी		
(______रू. के ___ शेयर)		
जोड़		

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष [1]		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
कानूनी आरक्षितिया		
पूंजी आरक्षितिया		
समेकन पर आरक्षित पूंजी[2]		
शेयर प्रीमियम		
अन्य आरक्षित (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
लाभ और हानि खाते का अधिशेष [3]		
जोड़		

1. अंतिम समेकित तुलन पत्र के बाद से आरंभिक शेष, परिवर्धन और कटौतियां प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जाएंगी।
2. जहां एक से अधिक अनुषंगी हैं और कुछ मामलों में समेकन के परिणाम सद्भावना और अन्य मामलों में पूंजी आरक्षित हैं, अलग-अलग नोट देने के बाद अनुसूची 2 या आस्ति पक्ष में निवल प्रभाव दिखाया जाएगा।
3. हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा।

अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
माता-पिता-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पसंख्यक हित		
बाद में वृद्धि / कमी		
बैलेंस शीट की तारीख पर अल्पसंख्यक ब्याज		

अनुसूची 3 - जमा राशियाँ		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
ए. I. मांग निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
II. बचत बैंक निक्षेप		
III. मियादी निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
जोड़ (I, II और III)		
बी. (i) भारत में शाखाओं के निक्षेप[1]		
(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप[2]		
जोड़ (i और ii)		

1. सहायक कंपनियों की भारतीय शाखाओं की जमा राशि शामिल है
2. सहायक कंपनियों की विदेशी शाखाओं की जमा राशि शामिल है

अनुसूची 4 – उधार		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक		
(ii) अन्य बैंक		
(iii) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II. भारत के बाहर उधार		
जोड़ (I और II)		
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 - अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. देय बिल		
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III. अर्जित ब्याज		
IV. विलंबित कर उत्तरदायित्व		
V. अन्य (प्रावधानों सहित)		
जोड़		

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. हाथ में नकद (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य खातों में		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 7 - बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में		
(i) बैंकों में अतिशेष		
(ए) चालू खातों में		
(बी) अन्य जमा खातों में		
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
(ए) बैंकों के साथ		
(बी) अन्य संस्थानों के साथ		
जोड़ (i और ii)		
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा		
जोड़ (i, ii और iii)		
जोड़ योग (I और II)		

अनुसूची 8 - विनिधान		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बध पत्र		
(v) एसोसिएट्स		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		
(ii) एसोसिएट्स		
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
जोड़		
जोड़ योग (I और II)		
III. भारत में विनिधान		
(i) विनिधानका सकल मूल्य		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		
IV. भारत के बाहर विनिधान		
(i) विनिधान का सकल मूल्य		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		

अनुसूची 9 - अग्रिम		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
ए. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और ऋण		
मांग पर चुकाने योग्य		
जोड़ (i, ii और iii)		
बी. (i) मूर्त आस्ति द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋणों के खिलाफ अग्रिम शामिल है)		
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया		
(iii) असुरक्षित		

अनुसूची 9 - अग्रिम		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
जोड़ (i, ii और iii)		
सी. आई. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र		
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
(iii) बैंक		
(iv) अन्य		
जोड़ (I, ii, iii और iv)		
सी.II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय		
(ii) दूसरों के कारण		
(ए) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
(सी) अन्य		
जोड़ (i और ii)		
सकल जोड़ (सी.I. और सी.II.)		

अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. परिसर		
पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		
I)ए निर्माणाधीन परिसर		
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		
IIए) पट्टे पर दी गई आस्ति		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर		
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन		
प्रावधानों सहित वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		

अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
जोड़ (I, IA, II और IIA)		
III. पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों का निवल		
जोड़ (I, IA, II, IIA और III)		

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामाग्री और स्टैंप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. आस्थगित कर आस्तियां		
VII. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 12 - समाश्रित दायित्व		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।		
II. आंशिक रुप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
जोड़		

अनुसूची 13 - संग्रहण के लिए बिल		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट		
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)		
III. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों के साथ शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 14 - अन्य आय		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ कम: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		
III. विनिमय लेनदेन पर लाभ कम: विनिमय लेनदेन पर हानि		
IV. निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) कम: निवेश की बिक्री पर हानि		
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कम: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
VI. क) लीज वित्त आय बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क ग) अतिदेय शुल्क डी) लीज रेंट प्राप्य पर ब्याज		
VII. विविध आय		
जोड़		

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. निक्षेपों पर ब्याज		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज		
III. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान		
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था		
III. छपाई और लेखन सामग्री		
IV. विज्ञापन और प्रचार		
v. (ए) पट्टे पर दी गई आस्ति के अलावा बैंक की आस्ति पर मूल्यह्रास		
(बी) पट्टे पर दी गई आस्ति पर मूल्यह्रास		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. कानून शुल्क		
IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि।		
X. मरम्मत और रखरखाव		
XI. बीमा		
XII. सद्भावना का परिशोधन, यदि कोई हो		
XIII. अन्य व्यय		
जोड़		

टिप्पणियाँ:

1. ऊपर निर्धारित प्रारूप प्राथमिक रूप से बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए है। गैर-बैंकिंग अनुषंगियों के मामले में यदि आय/व्यय या आस्तियों/देयताओं की कोई मद बैंक के समान नहीं है, तो इन मदों का अलग से खुलासा किया जाएगा।

2. समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त लाइन आइटम, शीर्ष और उप-शीर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और जब किसी विधिक, लेखा मानकों की आवश्यकता होती है या जब समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसी प्रस्तुति आवश्यक होती है। आईसीएआई द्वारा जारी सीएफएस लेखा मानकों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में, बैंकों पर लागू सीमा तक, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

अनुबंध V

इन निदेशों द्वारा निरसित परिपत्रों की सूची

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
1.	आरपीसीडी.एडीएम.परि.सं.4 /प्रशा. का पैराग्राफ 6 -1-82/83	26 जुलाई 1982	ग्रामीण योजना एवं ऋण विभाग	-
2.	आरपीसीडी.सं.पीएसबी.बी.3/ सी.464(एम)-83	11 अगस्त 1983	बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट	-
3.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.57/ 62-88 31 दिसंबर 1988 (केवल पैराग्राफ I.5 और II.4 में निहित जारीकर्ता और भाग लेने वाले बैंक द्वारा बैलेंस शीट पर अंतर-बैंक भागीदारी की प्रस्तुति से संबंधित अनुदेश)	31 दिसंबर 1988	अंतर-बैंक भागीदारी	अनुबंध II - भाग क अनुसूची 4 और 9
4.	आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.70/330-89/90	26 दिसंबर 1989	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के प्रावधानों से छूट	-
5.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.91/ सी.686-91	28 फरवरी 1991	लेखांकन नीतियां - बैंकों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता	अनुबंध III (बी प्रस्तुति)
6.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.78/ सी.686/91-92	6 फरवरी 1992	बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का संशोधित प्रारूप	अनुबंध I और अनुबंध II - भाग ए
7.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.82/ सी.686-92	12 फरवरी 1992	बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का संशोधित प्रारूप	अनुबंध II - भाग क अनुसूची 9
8.	आरपीसीडी.सं.आरएफ.डीआईआर.बीसी.92/ए.12(29-31)-91/92	24 फरवरी 1992	बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का संशोधित प्रारूप	अनुबंध III -बी
9.	डीबीओडी.सं.बीसी.114/16.01.001/93	28 अप्रैल 1993	बैंकों के अंतर-शाखा खातों के समाधान की प्रणाली को देखने के लिए कार्यदल की रिपोर्ट	-

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
10.	आरपीसीडी.सं.बीसी.119/07. 07.08/93-94	18 मार्च 1994	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के प्रावधानों से छूट	-
11.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.57/ 21.04.018/96	23 अप्रैल 1996	पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) - खातों पर टिप्पणियों में प्रकटीकरण	अनुबंध III-सी.1
12.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/ 21.04. 018/96	5 जून 1996	लेखा मानक 11 (संशोधित)	-
13.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.25/ 21.04.018/97	26 मार्च 1997	लेखा मानक 11 (संशोधित)	-
14.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.59/ 21.04.048/97	21 मई 1997	बैंकों की तुलन-पत्र - प्रकटीकरण	पैरा 1(i) -अनुबंध III - सी.1(xii) पैरा 1(ii) और (iii) - अनुबंध III सी.4 पैरा 2 - अनुबंध III.सी.1(xv) पैरा 3- अनुबंध III.सी.3(क) मामले में अद्यतन अनुदेश जारी होने के बाद पैरा 4 में अनुदेश निष्फल हो गए हैं।
15.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.9/2 1.04. 018 /98	27 जनवरी 1998	बैंकों का तुलन पत्र - प्रकटीकरण	पैरा 1 - अनुबंध III-सी.1(ए), 4(ए), 3(ए) पैरा 2 - अनुबंध III-सी.1 और सी.14(ए)
16.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.32/ 21.04.018/98	29 अप्रैल 1998	पूंजी पर्याप्तता - बैलेंस शीट में प्रकटीकरण	अनुबंध III - सी.14 (ए)
17.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.42/ 21.04.018/98	19 मई 1998	लेखा मानक 11 (संशोधित)	-
18.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.73/ 21.04.018/98 का पैराग्राफ ii	27 जुलाई 1998	अंतर-शाखा खाते - पुरानी बकाया ऋण प्रविष्टियां	अध्याय VI (पैरा 12) अनुबंध II (अनुसूची 5 और 11)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
19.	डीबीओडी.सं.एफएससी.बी सी.75/21.04.048/98	4 अगस्त 1998	सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण-खंडित अवधि ब्याज - लेखा प्रक्रिया	अनुबंध II (अनुसूची 15)
20.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.9 /21.04. 018/ 99	10 फरवरी 1999	बैंकों का तुलन पत्र - सूचना का प्रकटीकरण	अनुबंध III.सी.2(क) अनुबंध III.सी.4 (ए) अनुबंध III.सी.5
21.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.22/ 21.04.018/99	24 मार्च 1999	अंतर-शाखा खाते - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान	अध्याय VI- पैरा 13 और 14
22.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.24/ 21.04.048/99 का पारा 3,4,5	30 मार्च 1999	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता - आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान	3 - अनुबंध II - भाग बी.3 4 और 5 - अनुसूची 9
23.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.67/ 21.04.048/99	1 जुलाई 1999	नोस्ट्रो खातों का मिलान	अध्याय VI - पैरा 15
24.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.133 /21.04.018/2000	10 जनवरी 2000	अंतर-शाखा खाते - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान	अध्याय VI- पैरा 13 और 14
25.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.170 /21.04.018/2000	04 मई 2000	लेखा मानक - 11 (संशोधित)	-
26.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.171 /21.04.098/99-2000	5 मई, 2000	बैंकों का तुलन पत्र - सूचना का प्रकटीकरण	अनुबंध III - सी.2(ए)
27.	बीपी.बीसी.164/21.04.048/2000 का पैरा 4	24 अप्रैल 2000	पूंजी पर्याप्तता, आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड।	अनुबंध II - भाग ए: अनुसूची 9 (बी)
28.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.24/ 21.04.018/2000-2001	23 सितंबर 2000	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 11(2)(b)(ii) - आरक्षित निधि में अंतरण	अध्याय VI पैरा 17
29.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.15 /21.01.002/2000 का पैरा (ii)	7 अगस्त 2000	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम - बैलेंस शीट में जोखिम-भार और उपचार का असाइनमेंट	पैरा (ii) 28 फरवरी 2001 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.83/21.01.002/2000/2001 के पैरा (बी) द्वारा अद्यतन

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
30.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.37/ 21.04.018/2000	20 अक्टूबर 2000	कंप्यूटर पर मूल्यह्रास का प्रभार - इसकी विधि और दर	-
31.	आरपीसीडी.आरआरबी.बी सी.34/03.05.29/2000-01	4 नवंबर 2000	आरआरबी के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रतियां	-
32.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.88/ 21.04.018/2000-01	13 मार्च 2001	लेखा मानक - 11 (संशोधित)	-
33.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.83/ 21.01.002/2000/2001 का पैरा (बी)	28 फरवरी 2001	स्टाफ को ऋण और अग्रिम - बैलेंस शीट में जोखिम भार और उपचार का असाइनमेंट	अनुबंध II- भाग क • अनुसूची 9 - टिप्पणियों का पैरा 4 - सामान्य • अनुसूची 11 - (VI)
34.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.17/ 21.04.018/2001-02	24 अगस्त 2001	अंतर-शाखा खाते - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान	अध्याय VI- पैरा 13 और 14
35.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.25/ 21.04.048/2000-2001 का पैरा 2 और 5	11 सितंबर 2001	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड	अनुबंध II- भाग ए- • अनुसूची 9ए (ii) • अनुसूची 15
36.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.27/21. 04.137-2001 का पैरा 6	22 सितंबर 2001	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्तपोषण	अनुबंध III - सी.5(बी)(ix)
37.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.38/21. 04.018/ 2001-2002	27 अक्टूबर 2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - वर्ष 2001-2002 के लिए मध्यावधि समीक्षा - बैलेंस शीट प्रकटीकरण	अनुबंध III (अनुच्छेद सी.4 आस्ति गुणवत्ता) और अनुबंध III (अनुच्छेद सी.3 निवेश)
38.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.69/ 21.04.018/2001-2002	02 मार्च 2002	लेखांकन मानक - 11 (संशोधित) लेखांकन पर विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के लिए	अनुबंध II भाग बी (पैरा 3)
39.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.84/ 21.04. 018 /2001-02	27 मार्च 2002	बैंकों का तुलन पत्र - सूचना का प्रकटीकरण	अनुबंध III (पैरा सी.3 (बी))
40.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.109 /21. 04.018/2001-02	29 मई 2002	लेखा मानकों (एएस) के साथ बैंकों द्वारा अनुपालन - एएस 17,18, 21 और 22 . की प्रयोज्यता	अनुबंध II भाग बी

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
41.	यूबीडी.सीओ.बीपी.पीसीबी.20/16.45.00/2002-03	30 अक्टूबर 2002	बैंकों का तुलन पत्र - सूचना का प्रकटीकरण	अनुबंध III
42.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.71/ 21.04.103/2002-03 अनुबंध का पैरा 24 (निम्नलिखित अनुदेश जारी रहेगा सांविधिक लेखापरीक्षकों को देश के जोखिम जोखिम और धारित प्रावधानों की पर्याप्तता पर गौर करना चाहिए और उस पर टिप्पणी करनी चाहिए।)	19 फरवरी 2003	बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली-देश जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.5
43.	परिपत्र के तहत विनिर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित सभी अनुदेश डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.72/ 21.04.018/2001-02 (उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैराग्राफ 2(ए) और 4 से 17)	25 फरवरी 2003	समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए समेकित लेखांकन और अन्य मात्रात्मक तरीकों के लिए दिशानिर्देश	अध्याय V
44.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.73/ 21.04.018/2002-03	26 फरवरी 2003	अंतर-शाखा खाते - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान	अध्याय VI- पैरा 13 और 14
45.	यूबीडी.सं.बीपी.38/16.45.00/ 2002-03	6 मार्च 2003	बैंकों का तुलन पत्र - सूचना का प्रकटीकरण - बीमा प्रीमियम	अनुबंध III -सी.14 (छ)
46.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89 /21.04.018/2002-03	29 मार्च 2003	बैंकों द्वारा लेखा मानकों (एएस) के अनुपालन पर दिशानिर्देश	अनुबंध II भाग बी (पैरा 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10)
47.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 93/ 21.04.018/ 2002-2003	08 अप्रैल 2003	लेखांकन मानक - 11 (संशोधित) 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के लिए लेखांकन पर.	अनुबंध II भाग बी (पैरा 3)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
48.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.96/ 21.04.048/2002-03 अनुबंध का पैरा 6	23 अप्रैल 2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सृजित) और संबंधित मुद्दे	अनुबंध III - सी.4(एफ)
49.	आईडीएमसी.एमएसआरडी. 4801/06.01.03/2002-03 का पैरा 4(एक्स)	3 जून 2003	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.7(बी)
50.	आरपीसीडी.आरआरबी.बी सी.103/03.05.29/2002-03	21 जून 2003	आरआरबी के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रतियां	
51.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परिप त्र.सं.7/09.50.00/2003-04	5 अगस्त 2003	कंप्यूटर पर मूल्यह्रास का प्रभार - इसकी विधि और दर	-
52.	डीबीओडी.बीपी.बीसी. 44/21.04.141/2003-04 पर पैरा 14	12 नवंबर 2003	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.3 (डी)
53.	आरपीसीडी.आरएफ.बीसी. सं.59/07.37.02/2003-04	जनवरी 5, 2004	अंतर-शाखा खाता - शुद्ध डेबिट शेष के लिए प्रावधान	अध्याय – VI (पैरा 13, 14)
54.	आरपीसीडी.सीओ.आरआर बी.बीसी.66/03.05.34/2003-04 का पैरा 15	23 फरवरी 2004	गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.3 (डी)
55.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.71/ 21.04.018/2003-2004	31 मार्च 2004	लेखांकन मानक 11 - 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों' के लिए लेखांकन पर	अनुबंध II भाग बी (पैरा 3)
56.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.82 /21.04. 018/2003-04	30 अप्रैल 2004	बैंकों द्वारा लेखा मानकों (एएस) के अनुपालन पर दिशानिर्देश	अनुबंध II भाग बी (पैरा 7, 9, 11)
57.	डीबीओडी.बीपी.बीसी. 49/21.04.018/2004-2005	19 अक्तूबर 2004	प्रकटीकरण के माध्यम से बैंक के मामलों में पारदर्शिता बढ़ाना	अनुबंध III - सी.12

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
58.	यूबीडी.(पीसीबी).परि.40/16.45.00/2004-2005	1 मार्च 2005	प्रकटीकरण के माध्यम से बैंक के मामलों में पारदर्शिता में वृद्धि - शहरी सहकारी बैंक	अनुबंध III - सी.12
59.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.72 /21.04.018/ 2004-05	3 मार्च 2005	डेरिवेटिव में जोखिम जोखिम पर प्रकटीकरण	अनुबंध III (सी 7)
60.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	5 मार्च 2005	सावधि ऋण वर्गीकरण	अनुबंध I (अनुसूची 9 (ए)) और अनुबंध II भाग ए (अनुसूची 9.ए.ii)
61.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.76/ 21.04.018/2004-05	15 मार्च 2005	लेखा मानक (एएस) 11 (संशोधित 2003) के अनुपालन पर दिशानिर्देश 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'	अनुबंध II भाग बी (पैरा 3)
62.	आरपीसीडी.सीओ.आरएफ. बीसी.सं.103/07.37.02/2004-05	30 मई, 2005	अंतर-शाखा खाता - शुद्ध डेबिट शेष के लिए प्रावधान	-
63.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	09 जून 2005	बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार में कमी को पूरा करने के लिए सिडबी/नाबार्ड के पास जमाराशियाँ - तुलन-पत्र में रिपोर्टिंग	अनुबंध II भाग ए [अनुसूची 11-अन्य आस्तियां
64.	डीबीएस.सीओ.पीपी.बीसी.21 /11.01.005/2004-05 का पैरा 3	29 जून 2005	रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर	(मेलबॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया था)
65.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.16/ 21.04.048/2005-06 के अनुबंध का पैरा 7	13 जुलाई 2005	अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.5(ए)
66.	आरपीसीडी.सीओ.आरएफ. बीसी.सं.44/07.38.03/2005-06	10 अक्टूबर 2005	सहकारी बैंकों की तुलन पत्र - अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण	अनुबंध III
67.	आरपीसीडी.सीओ.आरएफ. बीसी.सं.62/07.40.06/2005-06	19 जनवरी 2006	कंप्यूटर पर मूल्यह्रास का प्रभार - विधि और उसकी दर	-

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
68.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परिपत्र.सं.28/12.05.001/2005-06	24 जनवरी 2006	सॉफ्टवेयर पर किए गए व्यय का परिशोधन - शहरी सहकारी बैंक	-
69.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	23 मार्च 2006	बैंक की बैलेंस शीट में संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) लेनदेन का वर्गीकरण	अनुबंध II भाग ए [अनुसूची 8(vi)]
70.	डीबीओडी.बीपी.बीसी. सं.76/21.04.018/2005-06	05 अप्रैल 2006	लेखा मानक (एएस) 11 (संशोधित 2003) के अनुपालन पर दिशानिर्देश - 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'	अनुबंध II भाग ए [अनुसूची 11 (VI)]
71.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.86/ 21.04.018/2005-06	29 मई 2006	बैलेंस शीट में प्रकटीकरण - प्रावधान और आकस्मिकताएं	अनुबंध III - सी.14(ई)
72.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 का पैरा 2(iv)	22 जून 2006	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	अनुबंध III - सी.4(ए)
73.	डीबीओडी.बीपी.बीसी. सं.31/21.04. 018/ 2006-07	20 सितंबर, 2006	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि से विनियोग	अध्याय VI पैरा 17-18
74.	परिपत्र डीबीओडी सं.एलईजी. बीसी.60/09.07.005/2006-07 के पैराग्राफ 3 (ए) और 3 (बी)	22 फरवरी 2007	शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण - वित्तीय परिणामों के साथ-साथ बैंकिंग लोकपालों की शिकायतों का प्रकटीकरण/कार्यान्वित नहीं किए गए निर्णय	अनुबंध III - सी.11(ए) और (बी)
75.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.81/ 21.04. 018/ 2006-07	18 अप्रैल 2007	दिशानिर्देश - लेखा मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरण में वृद्धि	अनुबंध II भाग बी [पैरा 4]
76.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	11 जुलाई 2007	विवेकपूर्ण मानदंड - प्रीमियम के परिशोधन का लेखा-जोखा	अनुबंध II भाग ए [अनुसूची 13 (ii)]
77.	यूबीडी.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.14/16.20.000/2007-08 का पैरा 5	18 सितंबर 2007	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	अनुबंध III - सी.3 (डी)
78.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	9 अक्टूबर 2007	विवेकपूर्ण मानदंड - शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग	अध्याय VI पैरा 19

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
79.	आरपीसीडी.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 का पैरा 2	4 दिसंबर, 2007	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना	अनुबंध III - सी.1
80.	डीबीओडी.सं.बीपी.698/21.04.018/2007-08	18 दिसंबर 2007	31 मार्च, 2007 को दावा न किए गए नोस्ट्रो खाते में धारित बकाया प्रविष्टियां/राशि	-
81.	आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.सं.बीसी.45/03.05.98/2007-08	8 जनवरी 2008	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) - आरक्षित निधि से विनियोग	अध्याय VI - अनुच्छेद 18
82.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.65 / 21.04.009/ 2007-08 का पैराग्राफ 2 (iv)	4 मार्च 2008	बैंकों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के संबंध में आश्वासन पत्र जारी करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	अनुबंध III -सी.14(जे)
83.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.84/ 21.04.018/2007-08	21 मई 2008	समेकित वित्तीय कथन	अध्याय वी - पैरा 12
84.	यूबीडी.पीसीबी.बीपीडी.सं.53 /13.05.000/2008-09 के संलग्नक का अनुच्छेद 9	6 मार्च 2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	अनुबंध III -सी.4(डी)
85.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.125 /21.04. 048/ 2008-09	17 अप्रैल 2009	असुरक्षित अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड	अनुबंध I (अनुसूची 9.B.iii)
86.	यूबीडी.पीसीबी.बीपीडी.परि.सं..60/13.05.000/2008-09 का पैरा 6	20 अप्रैल 2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.4 (डी)
87.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.133 /21.04.018/2008-09	11 मई 2009	नोस्ट्रो खाते का समाधान और बकाया प्रविष्टियों का उपचार	अध्याय VI - पैरा 15 और 16
88.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.64/ 21.04.048/2009-10 का पैरा 5	1 दिसंबर 2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज	अनुबंध III - सी.4(ए)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
89.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	23 दिसंबर 2009	राष्ट्रीय आवास बैंक के ग्रामीण आवास विकास कोष में निवेश के लिए उपचार	
90.	डीबीओडी.सं.एफएसडी.बीसी.67/24. 01.001/ 2009-10	07 जनवरी 2010	बैलेंस शीट में प्रकटीकरण - बैंकएश्योरेंस बिजनेस	अनुबंध III [पैरा सी.14 (बी)]
91.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.79/21.04.018/2009-10	15 मार्च 2010	खातों पर टिप्पणियों में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण	अनुबंध III [सी.6, सी.4(बी), सी.4(ए), सी.4(सी), सी.9]
92.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.81/ 21.01.002/2009-10	30 मार्च 2010	तुलन पत्र में वर्गीकरण - पूंजी लिखत	अनुबंध II भाग ए (अनुसूची 1 और 4 (नोट: सामान्य))
93.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.80/ 21.04.018/2010-11	9 फरवरी 2011	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को फिर से खोलना और ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार	-
94.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.87/ 21.04.048/2010-11 का पैरा 5	21 अप्रैल 2011	अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	अनुबंध III - सी.4 (ए)
95.	आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.बीसी.सं.70/03.05.33/2010-11	16 मई 2011	उपादान की सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार	-
96.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).सीआईआर.सं.49/09.14.000/2010-11	24 मई 2011	उपादान सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार	-
97.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 103/21.04.177/2011-12 का पैरा 1.6.2	7 मई 2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन	अनुबंध III – सी.8
98.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.49/ 21.04.018/2013-14	3 सितंबर, 2013	एटीएम लेनदेन के कारण ग्राहकों की शिकायतों और असमायोजित शेष राशि का प्रकटीकरण	अध्याय VI (पैरा 21) और अनुबंध III (पैरा सी.11)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
99.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.77/ 21.04.018/2013-14	20 दिसंबर 2013	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता	अध्याय VI - पैरा 22
100.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/ 21.06.200/2013-14 का पैरा 8	15 जनवरी 2014	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं को एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं	अनुबंध III -सी.5(छ)
101.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.96/ 21.06.102/2013-14 के अनुबंध का पैरा 8	11 फरवरी 2014	समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - ग.5(च)
102.	यूबीडी.सीओ.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.52 /12.05.001/2013-14	25 मार्च 2014	बैंकों का तुलन पत्र- सूचना का प्रकटीकरण	अनुबंध III
103.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.53/13.05.000/2013-14 के अनुबंध का पैरा 6	28 मार्च 2014	बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - C.4(f)(i)
104.	डीबीओडी.सं.डीईएएफ.सेल.बीसी.114/30.01.002/2013-14 का पैरा 8	27 मई 2014	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए - परिचालन दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.10
105.	यूबीडी.सीओ.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं..67/09.50.001/2013-14 (पैराग्राफ 1, 2 और 3)	30 मई 2014	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता- शहरी सहकारी बैंक	अध्याय VI - पैरा 22
106.	डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120 /21.04.098/2013-14 के अनुबंध का पैरा 9	9 जून 2014	चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक	अनुबंध III - सी.2(बी)
107.	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.121 / 21.04.018/2013-14	18 जून 2014	क्षेत्रवार अग्रिमों का प्रकटीकरण	अनुबंध III - पैरा 4 (बी)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
108.	आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.बीसी.सं.17/03.05.33/2014-15	28 जुलाई 2014	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लेखे पर टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण	अनुबंध III - सी.6, सी.4(बी), सी.4(ए)
109.	परिपत्र डीबीआर.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.018/2014-15 के अनुबंध का पैरा 6(बी)	15 जनवरी 2015	बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश	अनुबंध III-सी.14(बी)
110.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15 का पैरा 3	11 मार्च 2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) और संबंधित मुद्दों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	अनुबंध III – सी.4(f)(i)
111.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.78/21.04.048/2014-15	20 मार्च 2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी और संबंधित मुद्दों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	अनुबंध II - भाग बी - पैरा 3 (IV)
112.	डीसीबीआर.बीपीडी.(एमएससीबी).परि.सं.1/13.05.000/2014-15 का पैरा 3	14 मई 2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्गठन कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश - एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान को वापस करना (रीवर्सल)	अनुबंध III - सी.4(एफi)
113.	डीबीआर.सं.बीसी.97/29.67.001/2014-15 के अनुबंध का पैरा 4	1 जून 2015	निजी क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के मुआवजे पर दिशानिर्देश	अनुबंध III-सी.13
114.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.23/21.04.018/2015-16	1 जुलाई 2015	मास्टर परिपत्र - वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'लेखे पर टिप्पणियाँ'	अनुबंध III
115.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं..31/21.04.018/2015-16	16 जुलाई 2015	बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में हुई कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास जमाराशियां-तुलन पत्र में रिपोर्टिंग	अनुबंध II भाग ए - अनुसूची 11 (VI)
116.	डीबीआर.सं.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 के अनुबंध का पैरा 8	30 जुलाई 2015	बैंकों द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं का प्रावधान – समीक्षा	अनुबंध II - भाग ए - अनुसूची 9(ए)(i) अनुबंध III - ग.5(ई)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
117.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 के अनुबंध का पैरा 18	24 सितंबर 2015	कॉर्पोरेट बांडों में आंशिक ऋण वृद्धि	अनुबंध II - भाग क अनुसूची 12
118.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015-16 परिपत्र का पैरा 7	11 फरवरी 2016	भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)	अनुबंध III-सी.14(च)
119.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 का पैरा 1(डी)	18 अप्रैल 2016	धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान	अनुबंध III - सी.4 (जी)
120.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 का पैरा 5	1 सितंबर 2016	बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	अनुबंध III - सी.4(एफ)
121.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.61/21.04.018/2016-17	18 अप्रैल 2017	बैंकों द्वारा लेखा मानक (एएस) 11 के अनुपालन पर दिशानिर्देश - [विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव] - स्पष्टीकरण	अनुबंध II - भाग बी - पैरा 3 (IV)
122.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17	18 अप्रैल 2017	वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणी" में प्रकटीकरण - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में मतभेद	अनुबंध III ए- पैरा-सी.4(ई)
123.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 का पैरा 12	17 मई 2018	चलनिधि मानकों पर बेसल III संरचना - निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देश	अनुबंध III – सी.2(बी)
124.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19	1 अप्रैल 2019	वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणी" में प्रकटीकरण – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन	अनुबंध III - पैरा सी.4(ई)
125.	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 का पैरा 24	7 जून 2019	दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा	अनुबंध III – 4(डी)(i)

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
126.	विवि.एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 परिपत्र के अनुबंध का पैरा 3.1 और 3.2 (वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित केवल भाग)	4 नवम्बर 2019	**पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश**	अनुबंधIII- सी.13
127.	डीबीआर. सं.बीपी.बीसी. /3/ 21.04.048/2020-21 के अनुबंध का पैरा 52 तथा 53	6 अगस्त 2020	कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा -	अनुबंध III- सी.4(एच)
128.	सीईपीडी.सीओ.पीआर डी.परि..सं.01/13.01.013/2020-21 के अनुबंध का पैरा 4	27 जनवरी 2021	बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना	अनुबंध III – सी.11
129.	डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22	30 अगस्त, 2021	पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण	अनुबंध II – भाग ब 12
130.	डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 का पैराग्राफ 3	9 सितंबर, 2021	वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन	अनुबंध II – भाग अ, पूंजी: भारत के बाहर निगमित बैंक
131.	विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22	04 अक्टूबर 2021	बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान	अनुबंध III – सी.14. आई
132.	विवि.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 पैराग्राफ 11.1	7 अप्रैल 2022	डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना	अनुबंध II - भाग बी
133.	डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.37/21.04.018/2022-23	19 मई 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - बैंक के तुलन पत्र पर रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग	अनुबंध II - भाग ए

सं.क्र.	परिपत्र क्र.	दिनांक	विषय	संदर्भ अध्याय/अनुच्छेद/अनुबंध
134.	विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/ 21.04.018/2022-23	अक्टूबर 11, 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण	अनुबंध III- सी.4.ई
135.	डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23	13 दिसम्बर 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण	अनुबंध II - भाग ए
136.	विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103 /21.04.018/2022-23	20 फरवरी 2023	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण	-
137.	विवि.एसीसी.47/21.04.018/ 2023-24	25 अक्तूबर 2023	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति	अनुबंध III – सी.10
138.	विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/ 21.04.018/2024-25	20 मार्च 2025	अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन- 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना -विवेकपूर्ण विनियामक उपाय	अनुबंध III – 14.एल
139.	विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/ 21.04.018/2024-25	20 मार्च 2025	भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण	अनुबंध II - भाग ए Annex III- 7.ए, 3.एच